[2019] 17 एस. सी. आर 1

राम कृष्ण ग्रोवर और अन्य

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2019 की सिविल अपील संख्या 8597)

नवंबर 14,2019

[रंजन गोगोई सीजेआई, नागेश्वर राव और

संजीव खन्ना, जे. जे.]

किराया नियंत्रण और निष्कासनः पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949:

एस. 13 - बी-केंद्र द्वारा दिनांकित अधिसूचना 09.10.2009

सरकार, धारा 13-बी और अन्य संबंधित धाराओं (पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध (संशोधन) अधिनियम, 2001 के माध्यम से किराया अधिनियम में अंतःस्थापित) को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रावधानों में विस्तारित करती है। 13 - बी गैर-निवासी भारतीय को बेदखली का दावा करने का अधिमान्य अधिकार देना-एस की संवैधानिक वैधता। 13 - बी-आयोजितः धारा 13-बी संवैधानिक रूप से वैध है और साथ ही इसका विस्तार और

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़-पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध (संशोधन) अधिनियम, 2001-पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 को लागू होना। 87 . एस. 13 - बी-अधिसूचना जारी करने की तारीख 09.10.2009, यू/एस। 87 पुनर्गठन अधिनियम की धारा 13-बी का विस्तार

कानूनों का विस्तार संसद द्वारा निर्धारित किया गया है और यह स्पष्ट और अनुमेय है, यह केवल एक अपरिहार्य परिणाम के रूप में प्रतीत होगा कि कार्यपालिका को मौजूदा कानूनों में भविष्य के संशोधनों का विस्तार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अत्यधिक प्रत्यायोजन, शक्तियों के पृथक्करण, एजेंसी के कानून के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है-प्रशासनिक कानून

सशर्त प्रतिनिधि मंडल-पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध (संशोधन) अधिनियम, 2001-पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966। 87 .

[2019] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. 13 - बी राज्य की विधायी क्षमता वाले पंजाब राज्य विधानमंडल द्वारा अनिवासी भारतीयों के अधिकारों के संबंध में संशोधन अधिनियम के माध्यम से किए गए संशोधन-आयोजितः

राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित संशोधन अधिनियम अपनी क्षमता के भीतर था-इसके वास्तविक निर्माण पर संशोधन अधिनियम और "पीठ और पदार्थ" के सिद्धांत का संदर्भ आवास के लिए मकान मालिक और किरायेदार के संबंध से संबंधित है और

आवास और समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है-प्रमुख

कानून का उद्देश्य या "सार और सार" विनियमित करना है।

आवास और आवास के लिए अनिवासी भारतीय जमींदारों और किरायेदारों के बीच संबंध-केवल इसलिए कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संशोधन अधिनियम इस संबंध में विषय वस्तु को छूता है।

किराया अधिनियम में गैर-निवासी भारतीय मकान मालिकों के लिए, संशोधन या किराया अधिनियम को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं करता है-केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के संदर्भ में और चूंकि विषय समवर्ती सूची के भीतर आता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं होगा कि

विधायी निकाय की क्षमता पर निर्णय लेना-बनाने की शक्ति

केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कानून Art.246 (4) के तहत संसद के पास निहित हैं। 87 पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक कानूनों का विस्तार करने की शक्ति के साथ निहित है

केंद्र सरकार, यानी संसद या केंद्र सरकार

कार्यपालिका, जैसा भी मामला हो, और अनुमेय है-संविधान

भारत की-कला। 246 (4) पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध

(संशोधन) अधिनियम, 2001-पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966। 87 .

एस. 13 - बी-प्ली दैट एस। 13 - बी एनआरआई मकान मालिकों का एक विशेष वर्ग बनाता है, हालांकि, किरायेदारों को कोई कानूनी उपाय नहीं देता है।

- आयोजित की गई तर्कसंगतताः अनिवासी भारतीयों द्वारा बेदखली की एक सरल प्रक्रिया का प्रावधान करके। 13 - बी किरायेदारों के अधिकारों को कमजोर नहीं करता है-यह किरायेदारों को गुण-दोष के आधार पर अपना मामला स्थापित करने का मौका देता है और जब उचित और आवश्यक हो तो

मुकदमे के लिए मामला-इस प्रकार, एस। 13 - बी को मनमाना और अनुचित नहीं माना जा सकता है।

एस. 13 - बी-एस। 13 - बी गैर-निवासी भारतीय जमींदारों को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करना-धारा 13-बी की वैधता-आयोजितः अनुभाग

13 - बी को एक मनमाना वर्गीकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और उल्लंघन करता है-इसे असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह वास्तविक आवश्यकता के लिए बेदखली का दावा करने का अधिकार प्रदान करता है।

जमींदारों के एक निश्चित समूह के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया-गैर-निवासी राम कृष्ण ग्रोवर और अन्य v.

भारत और अन्य का संघ

भारतीय उन वैधानिक शर्तों के अधीन और उनकी संतुष्टि पर जो तुच्छ बेदखली पर रोक को शामिल करती हैं-यह कानून बनाने और इसे अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधायिका पर निर्भर करता है-किराया अधिनियम (ओं) हमेशा एक नियंत्रित तंत्र द्वारा समान अधिकार देता है और विभिन्न अन्य वर्गों/समूहों को इंगित करता है।

जमींदार, अर्थात्, सरकारी कर्मचारी, सशस्त्र बलों के सदस्य, केंद्र और राज्य सरकारों के सेवानिवृत्त या जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी, विधवाएँ, आदि-भारत का संविधान-Art.14।

एस. 13 - बी मकान मालिक पर लगाए गए प्रतिबंध और शर्तें

उद्देश्य के तहत बेदखली की मांग करना-आयोजितः धारा 13-बी के संदर्भ में, मकान मालिक पर लगाई गई शर्त यह है कि उसे

इससे पहले पाँच साल तक परिसर के मालिक रहे हैं

बेदखली याचिका दायर की जाती है-ऐसे मकान मालिक/मालिक को जीवनकाल में केवल एक बार और एक इमारत के संबंध में बेदखली याचिका दायर करने की अनुमति है-मकान मालिक किरायेदार से कब्जा लेने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए परिसर को बेच या पट्टे पर नहीं दे सकता है-इसका उल्लंघन करने पर, किरायेदार को मांग करने का अधिकार है।

अधिकार की बहाली

बेदखली का आदेश मिलने के बाद तीन महीने की निरंतर अवधि के लिए परिसर या पूरे या परिसर के किसी भी हिस्से को किराए पर देना।

एस के प्रावधानों के उल्लंघन में किरायेदार के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को। 13 बी (3), दंड लगाया जाता है-इस प्रकार, ये प्रतिबंध और शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत हैं कि मकान मालिक की आवश्यकता वास्तविक और प्रामाणिक होनी चाहिए और किरायेदार को झूठे दावों पर भरोसा करके तुच्छ और संदिग्ध निष्कासन आदेश के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

एस. 18 - ए और एस। 13 - बी-गैर-निवासी भारतीयों का आरंभ करने का अधिकार

संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत बेदखली-आयोजित की प्रकृतिः यह एक निरंकुश और पूर्ण अधिकार नहीं है-यह विभिन्न पूर्व-आवश्यकताओं और अनिवार्यताओं की संतुष्टि के अधीन है जो शॉर्ट-सर्किट प्रक्रिया का सहारा लेकर संभावित दुरुपयोग को सुनिश्चित करते हैं और रोकते हैं आवश्यकता अनिवासी भारतीय मकान मालिक या उसके आश्रित की वास्तविक आवश्यकता से उत्पन्न होनी चाहिए। उसमें बताई गई पूर्व-शर्तें और कब्जे के बाद के प्रतिबंध

सुझाव दें कि एस। 13 - बी गैर-निवासी भारतीयों के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब राज्य में अपनी संपत्ति पर कब्जा करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट नीतिगत उद्देश्य को पूरा करता है।

हो सकता है, अपने देश लौटने के बाद-यह अधिकार होना चाहिए

[2019] 17 एस. सी. आर. पर अपना मामला स्थापित करने के लिए किरायेदारों के अधिकार के साथ संतुलित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनिवासी भारतीयों की वास्तविक आवश्यकता को अस्वीकार करके गुण-भारत का संविधान-कला। 14 .

सिद्धांत/सिद्धांतः पीठ का सिद्धांत और पदार्थ का अर्थ-आयोजितः पीठ और सार सिद्धांत में कहा गया है कि यदि कानून एक प्रविष्टि द्वारा कवर किया गया है, यानी, यह विधायिका के अनुमत अधिकार क्षेत्र के भीतर है, तो किसी भी आकस्मिक अतिक्रमण में

एक प्रविष्टि का एक ही या अलग सूची में दूसरी प्रविष्टि के साथ आमने-सामने टकराव की ओर ले जाता है, सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत है संघर्ष को सुलझा लेने और उनमें से प्रत्येक को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया।

भारत का संविधानः कला. 254 – प्रतिकृति-जब आकर्षित होती है-आयोजित की जाती हैः केंद्रीय और राज्य अधिनियम के बीच वैमनस्य तब उत्पन्न होता है जब दोनों अधिनियमों के बीच प्रत्यक्ष और अपरिवर्तनीय संघर्ष होता है और उस मामले में, केंद्रीय विधान कला के आधार पर प्रबल होता है। 254 - इस तरह की असंगति या असंगति का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि तीन सूचियों में प्रविष्टियां आकस्मिक अतिक्रमण की अनुमति देती हैं-इस प्रकार, संघर्ष को शांत करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और केवल तभी जब और विरोधी टकराव के मामले में, अदालत को कानून को अतिक्रमण के रूप में खारिज करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसकी वैध और कानूनी सीमाएँ।

विधानमंडलः का कार्य-आयोजितः विधायिका का प्राथमिक कार्य सभी या विभिन्न समूहों या व्यक्तियों के वर्गों के लिए कानून बनाना है-निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में कानून निर्माता नागरिकों की जरूरतों, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को जानने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं इसलिए, विधायिका के पास ऐसे कानूनों के अधीन व्यक्तियों या चीजों को अलग करने और वर्गीकृत करने की शक्ति होती है-हालाँकि, इस तरह के वर्गीकरण को कला के समूह को पारित करना चाहिए। 14 जो शत्रुतापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण भेदभाव पर प्रतिबंध लगाएं-कला। 14 कुछ व्यक्तियों को समूहीकृत करके वर्गीकरण को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता है

कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक विशेष श्रेणी में विशेष विशिष्टताएँ।

कानूनः किराया नियंत्रण कानून-जिसका उद्देश्य बताया गया है। याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. किराया अधिनियम की धारा 13-बी की संवैधानिक वैधता और संघ के लिए इसका विस्तार और प्रयोज्यता

चंडीगढ़ क्षेत्र को बरकरार रखा गया है।

[पैरा 46] [45-बी] राम कृष्ण ग्रोवर और अन्य बनाम। भारत और अन्य का संघ

क्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 की धारा 13-बी को कार्यकारी कार्रवाई द्वारा चंडीगढ़ तक बढ़ाने के लिए जारी अधिसूचना अमान्य है? 2.1 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में संशोधन अधिनियम का विस्तार सशर्त के दायरे में आता है।

प्रत्यायोजन वैध और अनुमेय है। [पैरा 18] [26-ए]

2.2 यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अधिसूचना दिनांक 09.10.2009 जो संशोधन अधिनियम को चंडीगढ़ तक विस्तारित करती है। पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक कार्यकारी कार्रवाई से नुकसान होता है

अत्यधिक प्रत्यायोजन के लिए क्योंकि यह चंडीगढ़ में लागू किराया कानून में संशोधन करता है, यानी विस्तार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 246 (4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। एक बार जब संसद द्वारा कानूनों के विस्तार की नीति निर्धारित कर दी गई है और यह स्पष्ट और अनुमेय है, तो यह केवल एक अपरिहार्य परिणाम के रूप में प्रतीत होगा कि कार्यपालिका को

मौजूदा कानूनों में भविष्य के संशोधनों का विस्तार करने की अनुमति दी गई। इसलिए, अत्यधिक प्रत्यर्पण, शक्तियों के पृथक्करण, एजेंसी के कानून के सिद्धांत पर आधारित चुनौती विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। इस तरह की चुनौती को गैर द्वारा दायर बड़ी संख्या में बेदखली के मुकदमों को देखते हुए भी खारिज किया जाना चाहिए।

दिनांकित 09.10.2009 अधिसूचना के बल पर निवासी भारतीय जमींदार जिन्हें विवाद होने पर उपचार के बिना छोड़ दिया जाएगा। इसके विपरीत स्वीकार किए जाते हैं। [पैरा 15,19] [20-ए-बी; 26-बी-सी]

रमेश बिर्च बनाम। भारत संघ (1989 सप) 1 एस. सी. सी.

430 [1989] 2 एस. सी. आर. 629-पर निर्भर।

दिल्ली विधि अधिनियम 1912, अजमेर मेरवाड़ा (विधियों का विस्तार) अधिनियम, 1947 और भाग सी राज्य (विधि) अधिनियम, 1950

ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 332 [1951] एस. सी. आर. 747; आर बनाम बुराह

(1878) 5 इंड ऐप 178 (पीसी); वासु देव सिंह बनाम। भारत संघ (2006) 12 एस. सी. सी. 753 [2006] 8 पूरक। एससीआर

535 संदर्भित किया गया।

क्या राज्य द्वारा अनिवासी भारतीयों के अधिकारों के संबंध में संशोधन अधिनियम के माध्यम से संशोधन किए गए हैं पंजाब का विधानमंडल अपनी क्षमता से परे था?

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.1 तीन सूचियों में प्रविष्टियाँः सूची I-प्रविष्टि 17 और 18, सूची II-प्रविष्टि 18, सूची III प्रविष्टि 6,7 और 13 पारस्परिक रूप से नहीं हैं।

अनन्य। इसके अलावा, प्रविष्टियाँ कानून के क्षेत्र हैं जो क्षेत्र और कानून के प्रमुखों का सीमांकन करते हैं। इस प्रकार, उन्हें व्यापक निर्माण प्राप्त करना चाहिए जब तक कि उनकी कठोरता और आयात को प्रतिस्पर्धी प्रविष्टियों और संविधान के अन्य हिस्सों द्वारा नपुंसक बनाने की आवश्यकता न हो। प्रत्येक प्रविष्टि की व्याख्या निष्पक्ष और उदार होनी चाहिए ताकि उन सभी आनुषंगिक और सहायक मामलों को शामिल किया जा सके जिन्हें उचित रूप से इसमें समझा गया है। प्रविष्टियों की व्याख्या संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण अर्थों में नहीं की जानी चाहिए।

संघर्ष को सुलझाएँ और उनमें से प्रत्येक को प्रभावी बनाएं। [पैरा 22] [27-डी-एफ] 3.2 केंद्रीय और राज्य अधिनियम के बीच वैमनस्य तब उत्पन्न होता है जब दोनों के बीच प्रत्यक्ष और अपरिवर्तनीय संघर्ष होता है।

दो अधिनियम। यह तब होता है जब दोनों विधानों के बीच एक अपरिवर्तनीय संघर्ष होता है कि केंद्रीय विधान संविधान के अनुच्छेद 254 के आधार पर प्रबल होता है। इस तरह की असंगति या असंगति का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए

संघर्ष और केवल जब और विरोधी संघर्ष के मामले में, न्यायालय को कानून को अतिक्रमण के रूप में रद्द करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए इसकी वैध और कानूनी सीमाओं से परे। [पैरा 23] [27-एफ-एच]

विजय कुमार शर्मा और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य

और अन्य (1990) 2 एस. सी. सी. 562: [1990] 1 एससीआर 614;

इंदु भूषण बोस बनाम। राम सुंदरी देवी और

दूसरा (1969) 2 एस. सी. सी. 289: [1970] 1 एस. सी. आर. 443; जयसिंह जयराम त्यागी और अन्य बनाम। मामनचंद

रतिलाल अग्रवाल और अन्य (1980) 3 एससीसी 162: [1980] 3 एससीआर 224; वी. धनपाल चेट्टियार बनाम। यशोदाई अम्मल (1979) 4 एस. सी. सी. 214: [1980] 1 एस. सी. आर. 334; एकाउंटेंट एंड सेक्रेटेरियल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड और एक अन्य वी।

यूनियन राम कृष्ण ग्रोवर और अन्य v. भारत और अन्य का संघ

भारत और अन्य (1988) 4 एस. सी. सी. 324: [1988] 1

पूरक। एस. सी. आर. 493-संदर्भित।

3.3 इसके वास्तविक निर्माण पर और "पीठ और पदार्थ" के सिद्धांत के संदर्भ में संशोधन अधिनियम मकान मालिक और किरायेदार के आवास के संबंध से संबंधित है और

आवास और समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य या "सार और सार" अनिवासी भारतीय के बीच संबंधों को विनियमित करना है। आवास और आवास के लिए मकान मालिक और किरायेदार। केवल इसलिए कि संशोधन अधिनियम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए

अनिवासी भारतीय जमींदारों के संबंध में विषय वस्तु

किराया अधिनियम में, संशोधन या किराया अधिनियम संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। संशोधन अधिनियम और संबंधित केंद्रीय विधानों द्वारा संशोधित किराया अधिनियम नागरिकता, गैर-निवासियों के अचल संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण के अधिकार का विनियमन, विभिन्न विषय मामलों को शामिल करता है और विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करता है और किराया अधिनियम और किसी भी केंद्रीय अधिनियम जैसे नागरिकता अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, आदि के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। यह दृष्टिकोण कि

सातवीं अनुसूची के तहत विधायी सूचियों में केंद्र सरकार द्वारा गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए अलग-अलग कानून बनाने की परिकल्पना की गई है और उन्हें अनिवार्य किया गया है।

निवासी भारतीय जमींदारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 27] [29-जी एच; 30-ए-बी]

3.4 राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित संशोधन अधिनियम

यह अपनी क्षमता के भीतर था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के संदर्भ में और चूंकि यह विषय समवर्ती सूची में आता है, इसलिए विधायी निकाय की क्षमता पर निर्णय लेना महत्वपूर्ण नहीं होगा। कानून बनाने की शक्ति

किसी केंद्र शासित प्रदेश का सम्मान संसद के अधीन निहित है

अनुच्छेद 246 (4)। पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87 के संदर्भ में, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक कानूनों का विस्तार करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास निहित है, जो कि संसद या केंद्रीय कार्यपालिका है, जैसा भी मामला हो, और इसकी अनुमति है। [पैरा 28] [30-सी-डी]

क्या किराया अधिनियम की धारा 13-बी मनमाना है और

अनुचित क्योंकि यह किसी भी कानूनी उपचार का खर्च वहन नहीं करता है

किरायेदारों के लिए?

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.1 धारा 19 (2-बी) में वैधानिक सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है -

किराया अधिनियम की धारा 13-बी के तहत भारतीय मकान मालिक। किराया अधिनियम की धारा 18 ए में नियंत्रक को दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले को उठाने की आवश्यकता होती है जब तक कि बचाव की अनुमति के लिए आवेदन पर सुनवाई समाप्त नहीं हो जाती। कोई भी वादी संभवतः ए पर आपत्ति नहीं कर सकता है दिन-प्रतिदिन की सुनवाई निर्धारित करने का प्रावधान जो त्वरित, त्वरित और प्रभावी निर्णय सुनिश्चित करता है। धारा 18-ए में यह भी कहा गया है कि नियंत्रक का निर्णय अंतिम है क्योंकि कोई अपील या दूसरा नहीं है।

बेदखली के आदेश के खिलाफ अपील की जाती है, सिवाय इसके कि उच्च न्यायालय, निर्णय की शुद्धता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए, मामले के रिकॉर्ड बुलाकर मामले की जांच कर सकता है। [पारस 29,30,33] [30-एच; 31-ए; 33-ई-एफ]

रवि दत्त शर्मा बनाम। रतन लाल भार्गव (1984) 2 एससीसी

75 : [1984] 2 एस. सी. आर. 614; केवल सिंह बनाम श्रीमती. लाजवंती (1980) 1 एस. सी. सी. 290 [1980] 1 एस. सी. आर. 854 · संदर्भित

को।

4.2 किराया अधिनियम की धारा 13-बी के संदर्भ में, मकान मालिक को पहले पांच साल तक परिसर का मालिक होना चाहिए था। बेदखली याचिका दायर की जाती है। ऐसे मकान मालिक/मालिक को जीवनकाल में केवल एक बार और एक इमारत के संबंध में बेदखली याचिका दायर करने की अनुमति है। उप-धारा (3) से धारा 13-बी

मकान मालिक द्वारा लगातार तीन महीने तक परिसर पर कब्जा नहीं करने की स्थिति में अधिकतम छह महीने के कारावास या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों का दंड लगाया जाता है। बेदखली का आदेश प्राप्त करने के बाद या धारा 13 बी की उप-धारा (3) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किरायेदार के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को पूरे या परिसर का कोई भी हिस्सा पट्टे पर देने के बाद ये प्रतिबंध और शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत हैं कि मकान मालिक की आवश्यकता वास्तविक होनी चाहिए और राम कृष्ण ग्रोवर और अन्य बनाम।

प्रामाणिक और किरायेदार को झूठे दावों पर भरोसा करके तुच्छ और संदिग्ध निष्कासन आदेश के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। [पैरा 35] [36-डी-जी]

बलदेव सिंह बाजवा बनाम। मोनीश सैनी (2005) 12 एससीसी

778 [2005] 4 पूरक। एस. सी. आर. 26-पर निर्भर।

4.3 याचिका में मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता के संबंध में की गई धारणा को स्वयंसिद्ध या आत्म-स्पष्ट सत्य के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जो मकान मालिक को अधिकार देता है और अदालत को बेदखली की डिक्री पारित करने का आदेश देता है। द.

बचाव के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए एक 'मजबूत मामले' की आवश्यकता का अर्थ है एक अच्छा मामला जो उचित और अच्छी तरह से आधारित आधार पर सामने आता है जिसके आधार पर किरायेदार बेदखली की कार्यवाही को लड़ने के लिए अनुमति चाहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि स्थापना और

उस स्तर पर किसी भी संदेह और बहस से परे एक मामले को स्थापित करना। उठाए गए आधार और दलीलें स्पष्ट और मजबूत बचाव को दर्शाती हैं और बलदेव सिंह बाजवा के मामले में उल्लिखित आधारों से संबंधित होनी चाहिए। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि किसी पूर्व-परिकल्पित अनुमानों और अनुमानों के आधार पर। अनिवासी भारतीयों द्वारा बेदखली की एक सरल प्रक्रिया का प्रावधान करके, धारा 13-बी किरायेदारों के अधिकारों को कम नहीं करती है। यह किरायेदारों को योग्यता के आधार पर और जब उचित और आवश्यक हो तो अपना मामला स्थापित करने का मौका देता है। मामले को सुनवाई के लिए ले जाना। इसलिए, किसी भी तरह से धारा 13 बी को मनमाना और अनुचित नहीं माना जा सकता है। [पैरा 36] [36 एच; 37-ई-जी; 38-ए]

बलदेव सिंह बाजवा बनाम। मोनीश सैनी (2005) 12 एस. सी. सी. 778 [2005] 4 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 26; इंदरजीत कौर बनाम निर्पाल सिंह (2001) 1 एस. सी. सी. 706: [2000] 5 पूरक। एससीआर

707 पर भरोसा किया।

स्वामी नाथ बनाम। निर्मल सिंह (2010) 9 एससीसी 452: [2010]

10 एस. सी. आर. 1002-संदर्भित।

क्या अनिवासी भारतीय मकान मालिकों को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करने से धारा 13-बी अमान्य और अधिकार से बाहर हो जाती है। संविधान का अनुच्छेद 14?

5.1 विधायिका का प्राथमिक कार्य सभी या विभिन्न समूहों या व्यक्तियों के वर्गों के लिए कानून बनाना है। विधायक के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधि किसी भी अन्य [2019] 17 एस. सी. आर. की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं।

निकाय जो स्थानीय और अन्य परिस्थितियों से अलग हो, नागरिकों की जरूरतों, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को जानने के लिए। इसलिए, यह केवल तर्कसंगत लगता है कि विधायिका के पास ऐसे कानूनों के अधीन व्यक्तियों या चीजों को अलग करने और वर्गीकृत करने की शक्ति है। हालाँकि, इस तरह के वर्गीकरण को अनुच्छेद 14 से पारित होना चाहिए जो शत्रुतापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण है। भेदभाव। यह स्वीकार करते हुए कि अनुच्छेद 14 कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेष विशिष्टताओं वाले कुछ व्यक्तियों को विशेष श्रेणी में समूहीकृत करके वर्गीकरण को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता है। दो शर्तें जो अनुच्छेद 14 के तहत एक चुनौती का सामना करने के लिए एक वर्गीकरण के लिए संतुष्ट होनी चाहिए, वर्गीकरण को बोधगम्य अंतर पर आधारित किया जाना चाहिए जो व्यक्तियों या चीजों को समूह से अलग करता है जो समूह से बाहर रह गए अन्य लोगों से एक साथ समूहबद्ध हैं; और अंतर का एक तर्कसंगत संबंध या संबंध होना चाहिए।

विचाराधीन कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए। वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण या तार्किक रूप से होना आवश्यक नहीं है।

पूर्ण और उचित होगा जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना न हो। किसी भी वर्गीकरण की वैधता का न्याय करने के लिए परीक्षण को कानून के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण से परे देखकर व्यावहारिक और व्यावहारिक होना चाहिए, यानी कानून का उद्देश्य या उद्देश्य और वे परिस्थितियाँ जो कानून पारित होने के समय प्रचलित थीं और जिनके कारण उस कानून को पारित करना आवश्यक था। इतना ही नहीं, इस विश्वास पर आधारित किसी अधिनियम की संवैधानिक वैधता के बारे में एक धारणा है कि विधायिका

अपने ही लोगों की आवश्यकता को समझता है और सही ढंग से समझता है और नुकसान की डिग्री को पहचानने के लिए स्वतंत्र है और केवल उन मामलों तक ही अपने प्रतिबंध को सीमित कर सकता है जहां आवश्यकता को स्पष्ट माना जाता है। वर्गीकरण के परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाई किसी भी क़ानून की वैधता निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकती है। इसके लिए कम समावेशिता और अधिक समावेशिता के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। पूर्व वर्गीकरण समान लाभ प्रदान नहीं करता है या दूसरों पर समान बोझ नहीं डालता है जो हैं

समान रूप से स्थित जबकि अति-समावेशिता में न केवल वे लोग शामिल हैं जो उद्देश्य के संबंध में समान रूप से स्थित हैं, बल्कि अन्य लोग भी शामिल हैं जो इस तरह से स्थित नहीं हैं। उत्तरार्द्ध को नापसंद किया जाता है लेकिन पूर्व अदालतों के लिए न्यायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है

कम समावेशिता के प्रति सहिष्णुता का प्रयोग करें जब तक कि यह स्पष्ट न हो कि कानून के लिए कोई उचित कारण नहीं है जिसके लिए उन लोगों के लिए समान बल के साथ इसके विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी जिन्हें यह अछूता छोड़ देता है। [पैरा 38] [39-बी-जी; 40-ए-बी] राम कृष्ण ग्रोवर और अन्य बनाम।

भारत और अन्य का संघ

राम कृष्ण डालमिया बनाम। न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर [1959] एस. सी. आर. 279; ए. पी. राज्य और अन्य बनाम नल्लामिल्ली रामी रेड्डी और अन्य (2001) 7 एस. सी. सी. 708: [2001] 2 पूरक।

एस. सी. आर. 287; अग्रणी शहरी भूमि और अवसंरचना

सीमित और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य

(2019) 8 एस. सी. सी. 416-संदर्भित।

5.2 किराया नियंत्रण कानून अनिवार्य रूप से सामाजिक हैं।

1940 और 1950 के दशक में कस्बों और शहरों में बड़े पैमाने पर आप्रवासन, जनसंख्या में वृद्धि, भूमि संपत्ति के रूप में आवास सुविधाओं की कमी के कारण प्रचलित सामाजिक आर्थिक स्थितियों को देखते हुए किरायेदारों के शोषण की रक्षा और उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाए गए थे। किराया नियंत्रण कानून, इस प्रकार, सामान्य के साथ हस्तक्षेप किया अनुबंध की स्वतंत्रता और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत बेदखल करने के लिए मकान मालिक का अधिकार। हालांकि, ऐसे सभी कानून हमेशा जमींदारों के परस्पर विरोधी अधिकारों को संतुलित करने का भी प्रावधान करते हैं। दोनों प्रतिद्वंद्वी हितों को संतुलित करने की आवश्यकता है। [पैरा 40] [42-डी-ई]

माल्पे विश्वनाथ आचार्य और अन्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य और दूसरा (1998) 2 एस. सी. सी. 1: [1997] 6 पूरक। एस. सी. आर. 717; जोगिंदर पाल बनाम। नवल किशोर बहल

(2002) 5 एससीसी 397: [2002] 3 एस. सी. आर. 1078; सत्यवती शर्मा (मृत) बनाम एल. आर. एस. भारत संघ और एक अन्य (2008) 5 एस. सी. सी. 287; विनोद कुमार बनाम। अशोक कुमार गांधी (2019) 10 स्केल 357; केवल सिंह बनाम। श्रीमती. लाजवंती (1980) 1 एससीसी 290: [1980] 1 एससीआर 854; रवि

दत्त शर्मा बनाम। रतन लाल भार्गव (1984) 2 एससीसी 75:

[1984] 2 एस. सी. आर. 614-संदर्भित।

5.3 किराया अधिनियम की धारा 13-बी को असंवैधानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि यह बेदखली का दावा करने का अधिकार प्रदान करता है।

जमींदारों के एक निश्चित समूह के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा प्रामाणिक आवश्यकता, यानी गैर-निवासी भारतीय, वैधानिक शर्तों के अधीन और उनकी संतुष्टि पर जिसमें तुच्छ बेदखली पर रोक शामिल है। यह दलील कि धारा 13-बी को इस आधार पर निरस्त किया जाना चाहिए कि अन्य जमींदारों को भी इसी तरह के अधिकार दिए जा सकते हैं, आधारहीन है और खारिज कर दिया जाता है। यह कानून बनाने और इसे अन्य समान [2019] 17 एस. सी. आर. तक विस्तारित करने के लिए विधायिका पर निर्भर करता है।

स्थित व्यक्ति। किराया अधिनियम (ओं) हमेशा एक नियंत्रित तंत्र द्वारा समान अधिकार देता है और मकान मालिकों के विभिन्न अन्य वर्गों/समूहों, अर्थात् सरकारी कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के सदस्यों, सेवानिवृत्त या जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को सवारों का संकेत देता है।

केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी, विधवाएँ आदि। [पैरा 43] [44-बी-सी]

5.4 गैर-निवासी भारतीयों का बेदखली शुरू करने का अधिकार

धारा 18-ए में प्रदान की गई संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत एक निरंकुश और पूर्ण अधिकार नहीं है। यह संतुष्टि के अधीन है

विभिन्न पूर्व-आवश्यकताएँ और अनिवार्यताएँ जो शॉर्ट-सर्किट प्रक्रिया का सहारा लेकर संभावित दुरुपयोग को सुनिश्चित और रोकती हैं। द.

आवश्यकता गैर की वास्तविक आवश्यकता से उत्पन्न होनी चाहिए

निवासी भारतीय मकान मालिक या उसका आश्रित। ऐसे मकान मालिक को बेदखली याचिका दायर करने की तारीख से पहले पांच साल के लिए मालिक होना चाहिए। प्रावधान के उपयोग की अनुमति देने पर एक सीमा है जो जीवनकाल में केवल एक बार और केवल एक इमारत के संबंध में उपलब्ध है। वहाँ प्रतिबंध और बाधाएँ हैं

कब्जा ले लिया जाता है। इन पूर्व शर्तों और कब्जे के बाद के प्रतिबंधों से पता चलता है कि धारा 13-बी एक विशिष्ट नीति का पालन करती है। इसका उद्देश्य गैर-निवासी भारतीयों को अपने देश लौटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब राज्य में अपनी संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार सुनिश्चित करना है। इस अधिकार को किरायेदारों के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए

अनिवासी भारतीयों की वास्तविक आवश्यकता को अस्वीकार करके गुण-दोष के आधार पर उनके मामले को स्थापित करें। [पैरा 44] [44-डी-जी]

5.5 धारा 13-बी को मनमाना नहीं माना जा सकता है।

वर्गीकरण जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और उल्लंघन करता है। के आधार पर अनुमानित चुनौती

वर्गीकरण की असंवैधानिकता को खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 45] [44 एच]

हरकिशन सिंह बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. 1975 पुंज।

& हर 160 (एफ. बी.)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

ए. आई. आर. 1975 पी एंड एच 160 (एफ. बी.)

पैरा 7 राम कृष्ण ग्रोवर और अन्य v. भारत और अन्य का संघ

[1951] एससीआर 747

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

संदर्भित किया गया है

(1878) 5 इंड ऐप 178 (पीसी)

पै

रा 16

[2006] 8 पूरक। एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[1989] 2 एससीआर 629

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

[1990] 1 एससीआर 614

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

[1970] 1 एससीआर 443

पै

रा 25

संदर्भित किया गया है

[1980] 3 एससीआर 224

पै

रा 25

संदर्भित किया गया है

[1980] 1 एससीआर 334

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

[1988] 1 पूरक। एससीआर 493

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[1984] 2 एससीआर 614

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[1980] 1 एससीआर 854

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[2005] 4 पूरक। एससीआर 26

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35,

[2000] 5 पूरक। एससीआर 707

संदर्भित किया गया है

पै

रा 36

[2010] 10 एससीआर 1002

संदर्भित किया गया है

पै

रा 37

[1959] एससीआर 279

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

[2001] 2 पूरक। एससीआर 287

पै

रा 38

संदर्भित किया गया है

(2019) 8 एस. सी. सी. 416

पै

रा 38

संदर्भित किया गया है

[1997] 6 पूरक। एससीआर 717

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

[2002] 3 एससीआर 1078

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

(2008) 5 एस. सी. सी. 287

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

(2019) 10 स्केल 357

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8

2019 से।

एच के 23.08.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 की सिविल याचिका संख्या 15378 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए न्यायालय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के साथ

सिविल अपील सं। 8598 , 8599 , 8600 , 8601 , 8602 , 8603 , 8604 , 8605

2019 से।

संजय जैन, एएसजी, निधेश गुप्ता, नरेंद्र हुड्डा, राकेश

कुमार खन्ना, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गोपाल बलवंत साठे, सिद्धार्थ भटनागर, सुश्री रूबी सिंह आहूजा, नकुल गांधी, नवीनदीप मट्टा, श्रीमती माणिक करंजावाला (मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी के लिए), ए. वेनायगम बालन, अंकित स्वरूप, विपुल जिंदल, रोहित कुमार सिंह, श्यामल कुमार, तरुण गुप्ता, ऋषि मल्होत्रा, आलोक के. अग्रवाल, विकास जैन, अमित कुमार, सुश्री कविता वाडिया, सुश्री गरिमा प्रसाद, सुश्री अपूर्व रस्तोगी, सुश्री वृति गुजराल, सुश्री पल्लवी सिंह, सुश्री जपनीत कौर, अंकुर एस. कुलकर्णी, आनंद

श्रीवास्तव (एम/एस के लिए। लेक्स रेजिस लॉ ऑफिस), सुभाशीष भौमिक, सुश्री निदा दून, डॉ. सुरेंद्र सिंह हुड्डा, रामेश्वर प्रसाद गोयल, योगेश मल्होत्रा, पी. एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, सुश्री ऐनी मैथ्यू, सुश्री श्रुति जोस, उदित ग्रोवर, विभूति सुशांत गुप्ता, पी. एस. खुराना,

मोहित कुमार सिंह (राम नरेश यादव के लिए), राम नरेश यादव, सुश्री मंजू जेटली, संजय कुमार पाठक, सुश्री शशि पाठक, अरविंद

कुमार त्रिपाठी, रजत भारद्वाज, भाल सिंह मलिक, श्रीमती कमलदीप

नाथ, अरविंद कुमार गुप्ता, तरुणवीर सिंह खेहर, संदीप मिश्रा, विशाल त्रिपाठी (अशोक के. महाजन के लिए), अशोक के. महाजन, शुभ्रांशु पाधी, अजीत सिंह पुंडीर, अरिजीत सिंह, डी. वी. सिंह, भूपेंद्र कुमार भारद्वाज, रितेश खत्री, अनिल कुमार मिश्रा,

भारद्वाज, एस. के. एस. बेदी (सुभाशीष भौमिक के लिए), दीपक गोयल, पी. एन. पुरी, सतिंदर एस. गुलाटी, श्रीमती कमलदीप गुलाटी, आनंद मिश्रा, अमरेंद्र कुमार सिंह, अनिल कुमार तांडले, शशांक त्रिपाठी, सुश्री रचना श्रीवास्तव, सुश्री बीनू टम्टा, बी. वी. बलराम दास, बी. कृष्ण प्रसाद, पंकज पांडे, विशाल भटनागर, अश्विनी कुमार, सुश्री इति शर्मा, सुश्री कुमुद लता दास, जय कुमार, अरविंद गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, सुश्री उत्तरा बब्बर, अशोक पाणिग्रही, अनमोल तायल, एस. विनय रत्नाकर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

राम कृष्ण ग्रोवर और अन्य v. भारत और अन्य का संघ

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. उपरोक्त शीर्षक वाली अपीलें केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के किरायेदारों द्वारा की जाती हैं। चंडीगढ़ और पंजाब राज्य के शहरी क्षेत्र, जिन्होंने पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 (संक्षेप में, 'किराया अधिनियम') की धारा 13-बी की संवैधानिक वैधता और केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में इसके विस्तार को चुनौती दी है।

धारा 87 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना दिनांक 09.10.2009 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (संक्षेप में, 'पुनर्गठन अधिनियम')।

3. किराया अधिनियम की धारा 13-बी निम्नानुसार हैः

" 13 - बी. तत्काल अधिकार की वसूली का अधिकार

आवासीय भवन या अनुसूचित भवन और/या गैर

अनिवासी भारतीय को उपार्जित आवासीय भवन। — (1) जहाँ एक मालिक एक अनिवासी भारतीय है और भारत लौटता है और आवासीय भवन या अनुसूचित भवन और/या गैर

यथास्थिति, उसके द्वारा किराए पर दिया गया आवासीय भवन उसके उपयोग के लिए आवश्यक है, या किसी ऐसे व्यक्ति के उपयोग के लिए जो सामान्य रूप से उसके साथ रहता है और उस पर निर्भर है, वह ऐसे भवन के तत्काल कब्जे के लिए नियंत्रक को आवेदन कर सकता है या

इमारतें, जैसा भी मामला हो सकता हैः

बशर्ते कि इस धारा के तहत ऐसे भवन के संबंध में आवेदन करने का अधिकार पांच साल की अवधि के बाद ही उपलब्ध होगा।
ऐसी इमारत का मालिक बनने की तारीख से और ऐसे मालिक के जीवनकाल के दौरान केवल एक बार उपलब्ध होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) में निर्दिष्ट स्वामी ने एक से अधिक आवासीय भवन या अनुसूचित भवन और/या गैर-आवासीय भवन किराए पर दिए हैं, वहां उसके लिए उस उप-धारा के तहत केवल एक आवासीय भवन या एक अनुसूचित भवन और/या एक गैर-आवासीय भवन के संबंध में आवेदन करने का अधिकार होगा।

आवासीय भवन, प्रत्येक उसके द्वारा चुना गया।

(3) जहां कोई मालिक इस धारा के तहत किसी इमारत का कब्जा वसूल करता है, वह इसे बिक्री या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा या पांच साल [2019] की अवधि समाप्त होने से पहले इसे पट्टे पर नहीं देगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त भवन का कब्जा लेने की तारीख से, जिसमें विफल रहने पर बेदखल किरायेदार नियंत्रक को एक आदेश के लिए आवेदन कर सकता है जिसमें निर्देश दिया जाए कि उसे उक्त भवन का कब्जा बहाल कर दिया जाएगा। भवन और
नियंत्रक तदनुसार आदेश देंगे।

'अनिवासी भारतीय' शब्द को किराया अधिनियम की धारा 2 के खंड (डी. डी.) में परिभाषित किया गया है और कहा गया हैः

" ((घ) "अनिवासी भारतीय" से भारतीय मूल का एक व्यक्ति अभिप्रेत है, जो या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से भारत के बाहर किसी भी राज्य में बस गया है।

मामला

(क) भारत के बाहर रोजगार के लिए या लेने पर; या
((ख) भारत के बाहर कोई व्यवसाय या व्यवसाय करने के लिए; या

(ग) किसी अन्य उद्देश्य के लिए, ऐसी परिस्थितियों में, जो भारत से बाहर रहने के उनके इरादे को इंगित करता है।

अनिश्चित अवधि; "

पंजाब राज्य के शहरी क्षेत्रों में बताई गई शर्तों की संतुष्टि पर। हम बाद में प्रावधानों को विस्तृत करेंगे और पहले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में चुनौती दिए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए अपनाए गए विधायी इतिहास और प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे। 4. 1956 में, पेप्सू और पंजाब के पूर्ववर्ती राज्यों को मिलाकर पंजाब का एकीकृत राज्य बनाया गया था। 1966 में, एक नया राज्य

हरियाणा को कुछ क्षेत्रों से बनाया और तराशा गया था

पंजाब राज्य। पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। चंडीगढ़ का एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बन गई। पुनर्गठन अधिनियम, अर्थात पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ने क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित प्रावधानों के माध्यम से प्रस्तावों को प्रभावी बनाया। पुनर्गठन अधिनियम का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उन क्षेत्रों में कानूनों की प्रयोज्यता से संबंधित था जो इससे गुजर चुके थे। पुनर्गठन। यह पुनर्गठन अधिनियम के भाग X द्वारा प्रभावित किया गया था जिसमें धारा 86 से 97 शामिल हैं। पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87,88 और 89 वर्तमान निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं और नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैंः

" 87. चंडीगढ़ तक अधिनियमों का विस्तार करने की शक्ति-केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस तरह के प्रतिबंधों या संशोधनों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक किसी भी अधिनियम का विस्तार कर सकती है जो अधिसूचना की तारीख से किसी राज्य में लागू है। 88. कानूनों की क्षेत्रीय सीमा। भाग 2 के उपबंधों से यह नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने उन क्षेत्रों में कोई परिवर्तन किया है जिन पर नियत दिन से ठीक पहले लागू कोई विधि विस्तारित होती है या लागू होती है और पंजाब राज्य के लिए ऐसी किसी विधि में क्षेत्रीय निर्देश, जब तक कि किसी सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक यह समझा जाएगा कि नियुक्त होने से ठीक पहले राज्य के भीतर के राज्य क्षेत्र।

एक दिन। 89.
कानूनों को अनुकूलित करने की शक्ति। सुविधा प्रदान करने के लिए

पंजाब या हरियाणा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ के संबंध में नियत दिन से पहले बनाई गई किसी भी कानून के संबंध में आवेदन करने पर, उपयुक्त सरकार, उस दिन से दो साल की समाप्ति से पहले, आदेश द्वारा, कानून के ऐसे अनुकूलन और संशोधन कर सकती है, चाहे वे निरसन या संशोधन के रूप में हों, जो आवश्यक या समीचीन हो, और उसके बाद ऐसी प्रत्येक कानून का प्रभाव किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम विधायिका द्वारा परिवर्तित, निरस्त या संशोधित किए जाने तक इस तरह किए गए अनुकूलन और संशोधनों के अधीन होगा।

प्राधिकार "।

हम बाद में पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87 के विशिष्ट संदर्भ के साथ धाराओं पर स्पष्टीकरण देंगे। 5. मूल रूप से पूर्वी पंजाब के पूर्व प्रांत में शामिल क्षेत्र और बाद में पंजाब राज्य के रूप में नामित किए गए थे

किराया अधिनियम, जो धारा 2 (जे) में नगरपालिका समिति द्वारा प्रशासित किसी भी क्षेत्र के रूप में परिभाषित सभी "शहरी क्षेत्रों" पर लागू होता है,

बोर्ड, नगर समिति या राज्य सरकार द्वारा किराया अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "शहरी क्षेत्र" के रूप में अधिसूचित क्षेत्र। 6. केंद्र सरकार ने पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पंजाब पुनर्गठन जारी किया था।

(चंडीगढ़) (राज्य और समवर्ती विषयों पर कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 1968 1.11.1966 से प्रभावी है जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में इसके आवेदन में सभी "मौजूदा कानूनों" में, पंजाब राज्य के किसी भी संदर्भ को संघ [2019] 17 एस. सी. आर. के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

चंडीगढ़ का क्षेत्र। "मौजूदा कानून" शब्द को आदेश के पैरा 2 (1) (बी) में परिभाषित किया गया था। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि किराया अधिनियम "मौजूदा कानूनों" का हिस्सा नहीं था क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निर्माण करने वाला क्षेत्र किराया अधिनियम के तहत "शहरी क्षेत्र" नहीं था।

7. केंद्र सरकार ने दिनांक 13.10.1972 की अधिसूचना द्वारा और 04.11.1972 पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित क्षेत्र घोषित किया था।

जिसमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को किराया अधिनियम के लिए एक "शहरी क्षेत्र" बनाया गया है। इस अधिसूचना को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरकिशन सिंह बनाम मामले में रद्द कर दिया था। भारत संघ 1, इस संक्षिप्त आधार पर कि किराया अधिनियम की धारा 2 (जे) के तहत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को "शहरी क्षेत्र" के रूप में किराया अधिनियम का विस्तार करने के लिए कोई अधिसूचना 1.11.1966 पर पुनर्गठन के बाद जारी नहीं की जा सकती थी। चंडीगढ़ में किराया अधिनियम पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 के संदर्भ में लागू नहीं था और न ही कोई भी भाग बिना आवश्यक अनुकूलन के धारा 87 के तहत अधिसूचना द्वारा लागू होगा। इस प्रकार, न तो आदेश और न ही 13.10.1972 की अधिसूचना का केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में किराया अधिनियम को लागू करने का प्रभाव पड़ सकता है। 8. संसद ने इस दोष को सुधारने के लिए संविधान के अनुच्छेद 246 (4) के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध (चंडीगढ़ तक विस्तार) अधिनियम, 1974 (संक्षेप में, 'विस्तार अधिनियम') लागू किया था ताकि अनुसूची में निर्दिष्ट संशोधन के अधीन किराया अधिनियम का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक किया जा सके।

चंडीगढ़। इस अधिनियम में यह निर्धारित किया गया था कि किराया अधिनियम 04.11.1972 से लागू माना जाएगा, जिस दिन हरकिशन सिंह के मामले में पहले की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था।

(ऊपर), प्रभावी बनाया गया था। इसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 04.11.1972 को ध्यान में रखते हुए बेदखली के लिए शुरू की गई सभी कार्यवाही को नियमित कर दिया गया।

विस्तार अधिनियम सैद्धांतिक और सारतः एक संसदीय अधिनियम था जिसे संदर्भ द्वारा शामिल करने और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में किराया अधिनियम के सभी प्रावधानों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए बनाया गया था।

9. आई. डी. 1 पर, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था, राष्ट्रपति ने 1976 का अध्यादेश 14 जारी किया था, जिसके द्वारा किराया

अधिनियम में एक स्पष्टीकरण की शुरूआत और धारा 13 में उप-धारा (4ए) और धारा 19 में उप-धारा (2ए) जोड़कर संशोधन किया गया था। नई धाराएँ 13ए, 18ए और 18बी अंतःस्थापित की गईं और अनुसूची II में -

धारा 13ए के तहत जारी किए जाने वाले समन का रूप जोड़ा गया था। इस अध्यादेश को समाप्त होने दिया गया और उसके बाद इसे कानून के रूप में अधिनियमित नहीं किया गया।

1ए. आई. आर. 1975 पुंज। & हर 160 (एफबी)

10. 1982 में, संसद ने पूर्वी पंजाब किराया प्रतिबंध (चंडीगढ़ संशोधन) अधिनियम पारित किया, जिसमें "पूर्वी पंजाब" शब्द को "पंजाब" शब्द से बदल दिया गया और चंडीगढ़ में लागू किराया अधिनियम में "गैर-आवासीय भवन" की परिभाषा को प्रतिस्थापित किया गया। 1976 के अध्यादेश 14 के माध्यम से किराया अधिनियम में विलंबित संशोधन शामिल नहीं किए गए थे।

11. 1985 में पंजाब राज्य के लिए लागू किराया अधिनियम के प्रावधानों को पंजाब राज्य के विधानमंडल द्वारा संशोधित किया गया था।

1985 के पंजाब अधिनियम 2 के माध्यम से नई धारा 13 ए, 18 ए और 18 बी को अंतःस्थापित करके, एक नई दूसरी अनुसूची और धारा 13 और 19 में संशोधन काफी हद तक 1976 के अध्यादेश 14 द्वारा प्रभावी किए गए संशोधनों के समान हैं। "निर्दिष्ट मकान मालिक" की एक नई परिभाषा भी जोड़ी गई थी। ये संशोधन 16.11.1985 पर लागू हुए।

13. पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87 के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से अनुमत विस्तार को चुनौती दी गई थी, लेकिन इस न्यायालय द्वारा रमेश बिर्च बनाम में खारिज कर दिया गया। भारत संघ 2. हम बाद में इस निर्णय का उल्लेख करेंगे।

14. हमारे सामने चुनौती के तहत प्रावधान, अर्थात् धारा 13 बी को पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध के माध्यम से किराया अधिनियम में जोड़ा गया था।

(पंजाब राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित अधिनियम, 2001 (संक्षेप में, 'संशोधन अधिनियम')। धारा 13-बी और अन्य संबंधित

संशोधन अधिनियम की धाराओं को केंद्र सरकार द्वारा दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया था 09.10.2009 पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87 के तहत शक्तियों के कथित प्रयोग में।

15. प्रोलिक्सिटी से बचने के लिए, हम तथ्यात्मक मैट्रिक्स का उल्लेख करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं क्योंकि तर्क सुनने के बाद हमने तथ्यों पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था

और कानूनी मुद्दों पर दलीलें सुनी थीं जिन्हें संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(i) अधिसूचना दिनांक 09.10.2009 जो धारा 87 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक कार्यकारी कार्रवाई द्वारा चंडीगढ़ में संशोधन अधिनियम का विस्तार करती है।

पुनर्गठन अधिनियम अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष के बराबर है और इससे ग्रस्त है क्योंकि यह चंडीगढ़ में लागू किराया कानून में संशोधन करता है, यानी विस्तार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 246 (4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

((ii) पंजाब का राज्य विधानमंडल संशोधन अधिनियम को लागू करने में अक्षम था, क्योंकि सूची I की प्रविष्टि 17 के तहत 'नागरिकता, प्राकृतिककरण और विदेशी' के क्षेत्र में आने वाले अनिवासी भारतीयों के विषय और अधिकार; सूची I की प्रविष्टि 18 के तहत 'प्रत्यर्पण' और सूची I से 'प्रवेश, और उत्प्रवास और निष्कासन'।

भारत; सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 19 के तहत पासपोर्ट और वीजा। विधान की विषय वस्तु अधिकारों से संबंधित विभिन्न केंद्रीय अधिनियमों के साथ सीधे टकराव में है और उनके प्रतिकूल है। नागरिकता अधिनियम, 1955 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 आदि सहित अनिवासी भारतीय।

((iii) धारा 13-बी, जो विदेशियों सहित गैर-निवासियों को बेदखली का दावा करने का अधिमान्य अधिकार देती है,

मनमाना, अनुचित और भेदभावपूर्ण, और गैर-निवासियों बनाम भारतीय निवासियों के लाभ के लिए एक कृत्रिम वर्गीकरण बनाता है और इस प्रकार, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

संविधान से।

सुविधा और स्पष्टता के लिए, हम प्रत्येक से निपटेंगे

सकारात्मक प्रस्तुतियाँ दें और अपने कारण अलग से दें।

क्या अधिसूचना दिनांक 09.10.2009 के तहत जारी की गई है

पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87 धारा का विस्तार करती है

13 - कार्यकारी कार्रवाई द्वारा चंडीगढ़ को किराया अधिनियम का बी

अमान्य है?

रमेश बिर्च (ऊपर) में, पहले की संवैधानिक पीठ

दिल्ली विधि अधिनियम 1912, अजमेर मेरवाड़ा में इस न्यायालय के

कानून पर) अधिनियम, 1947 और भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम, 1950 3 को सात अलग-अलग विचारों पर विचार करने के बाद स्पष्ट किया गया है।

एस. सी. 332 राम कृष्ण ग्रोवर और अन्य बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

कनिया, सी. जे. , फजल अली, पतंजलि शास्त्री, महाजन, मुखर्जी, दास और बोस जेजे। कनिया, सीजे को छोड़कर सभी न्यायाधीश। और जे. महाजन ने दिल्ली विधि अधिनियम, 1912 की धारा 7, अजमेर मेरवाड़ा (विधि विस्तार) अधिनियम, 1947 की धारा 2 और भाग सी राज्य (विधि) अधिनियम की धारा 2 के पहले भाग के प्रावधानों को बरकरार रखा था। हालांकि, बोस और मुखर्जी, जे. जे. उनके द्वारा बताए गए कारणों से कनिया, सीजे के साथ बहुमत बनाया गया था। और न्यायमूर्ति महाजन ने भाग सी राज्य (विधि) अधिनियम, 1950 की धारा 2 के दूसरे भाग को निरस्त करने में, जिसके द्वारा कार्यपालिका को किसी भी संबंधित कानून (केंद्रीय अधिनियम के अलावा) के निरसन या संशोधन के लिए इस तरह विस्तारित किसी भी अधिनियम में प्रावधान करने की शक्ति दी गई थी, जो उस भाग सी राज्य पर कुछ समय के लिए लागू था। यह देखा गया कि धारा 2 का यह भाग अत्यधिक प्रत्यर्पण और विधानमंडल द्वारा शक्ति के त्याग के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है। जिस पर आर. वी. में प्रिवी काउंसिल के पहले के निर्णय की कसौटी। बुराहा, रमेश बिर्च (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इसे 'नीति और दिशानिर्देश' सिद्धांत पर वैध ठहराया था, यदि किसी को पुनर्गठन अधिनियम के संदर्भ और उद्देश्य और उद्देश्य के प्रति उचित सम्मान है।

पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87 द्वारा प्राप्त किया गया। यह देखा गयाः

" 23. लेकिन, इन बारीकियों के अलावा, हम सोचते हैं कि धारा 87 "नीति और दिशानिर्देश" सिद्धांत पर भी काफी मान्य है यदि किसी को अधिनियम के संदर्भ और उद्देश्य और उद्देश्य के प्रति उचित सम्मान है।

अधिनियम की धारा 87 द्वारा प्राप्त किया जाना चाहा गया। ऊपर उल्लिखित न्यायिक निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है।
कि विधायिका को अपनी नीति के "सभी आई को अंकित करना चाहिए और सभी टी को पार करना चाहिए"। यह पर्याप्त है यदि यह विधायिका की सामान्य नीति का व्यापक संकेत देता है। अगर हम इसे ध्यान में रखते हैं और

इस प्रकार के विधान के इतिहास को देखते हुए, कोई कठिनाई नहीं होगी। धारा 87, अधिनियम I, II और III के प्रावधानों की तरह, केंद्र के विधायी अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आवश्यक प्रावधान है। ये निकटवर्ती क्षेत्रों के बीच में स्थित क्षेत्र हैं जिनके पास एक उचित विधायिका है। वे छोटे क्षेत्र हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं।

संसद की विधायी अधिकारिता जिसके पास अपनी सभी विधायी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के विवरण की देखभाल करने के लिए शायद ही पर्याप्त समय हो। उनके लिए संसद से कानून बनाने की आवश्यकता या अपेक्षा करने के लिए इसके विधायी पर असमान दबाव पड़ेगा।

4 (1878) 5 इंड ऐप 178 (पीसी)।

अनुसूची। इसका मतलब यह भी होगा कि बड़ी संख्या में संसद सदस्यों के समय का अनावश्यक उपयोग, केंद्र शासित प्रदेश से संसद में लौटे कुछ (दस से कम) सदस्यों को छोड़कर, इस तरह के कानून में किसी और की रुचि होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में, उनके लिए कानून बनाने का सबसे सुविधाजनक तरीका देश के अन्य क्षेत्रों में लागू कानूनों का अनुकूलन है। जैसा कि फजल अली, जे. ने दिल्ली कानून अधिनियम मामले [ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 332 में बतायाः 1951 एस. सी. आर. 747] यह ऐसे कानून बनाने की शक्ति नहीं है जो प्रत्यायोजित किए गए हैं, बल्कि केवल उन कानूनों को "प्रतिस्थापित" करने की शक्ति है जो पहले से ही उनके द्वारा जांच किए जाने के बाद लागू हैं।

संसद या राज्य विधानसभाओं में से एक, और वह भी, बिना किसी भौतिक परिवर्तन के। हमारे सामने कोई विवाद नहीं है-और यह सभी निर्णयों में सर्वसम्मति से माना गया है-कि इस प्रकार के खंड में संशोधन और प्रतिबंध लगाने की शक्ति एक बहुत ही सीमित शक्ति है, जो केवल इन परिवर्तनों की अनुमति देती है कि संदर्भ की आवश्यकता है और पदार्थ में परिवर्तन नहीं। निश्चित रूप से निरसन या संशोधन के माध्यम से संशोधन की कोई शक्ति नहीं है जैसा कि धारा 89 के तहत उपलब्ध है।

17. रमेश बिर्च (ऊपर) ने माना था कि एक बार की नीति

यदि किराया अधिनियम स्पष्ट और अनुज्ञेय है, तो यह केवल एक आवश्यक परिणाम के रूप में प्रतीत होगा कि कार्यपालिका को केंद्र शासित प्रदेश डिगर में किराया अधिनियम में भविष्य के संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए। दिल्ली कानून अधिनियम (उपरोक्त) में व्यक्त किए गए विभिन्न निर्णयों और ई. डब्ल्यू. की व्यापक रूप से जांच करने के बाद, अधिसूचना जारी की गई

डी निम्नलिखित निष्कर्षों के साथः

" 31. इन तर्कों में निश्चित रूप से काफी बल है लेकिन हम सोचते हैं कि वे वर्तमान मामले में आक्षेपित अधिसूचना के प्रभाव के बारे में गलत दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं। हम विद्वान वकील की दलीलों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हो सकते थे यदि अधिसूचना का प्रभाव कानून का विस्तार करना था जो किसी भी संसदीय अधिनियम के साथ "वास्तविक संघर्ष" में है या जिसका प्रभाव केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी मौजूदा कानून को "बाहर फेंकने" का है। एक समान संदर्भ में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति को उधार लेने के लिए, हम विस्तार की वैधता को संदिग्ध मानते यदि विस्तारित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश में लागू संसद के एक अधिनियम के प्रतिकूल होते। जब तक वह प्रभाव या परिणाम नहीं है, हम सोचते हैं कि धारा 87 के दायरे को वकील द्वारा सुझाए गए प्रतिबंधित तरीके से समझने का कोई कारण नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 87 विस्तार की अनुमति देती है क्योंकि 1 कृष्ण विकास और अन्य बनाम।

ऐसे प्रावधान वाले अधिनियम को भी बढ़ाया जा सकता है, क्या यह प्रशंसनीय रूप से नहीं कहा जा सकता है कि बाद वाला एक ऐसा मामला है जिस पर क्षेत्र में कोई कानून नहीं बनाया गया है और बाद वाले अधिनियम का विस्तार केवल एक शून्य या रिक्ति को भरता है? फिर से, मान लीजिए कि एक सामान्य संहिता के प्रावधान जैसे, मान लीजिए, सिविल प्रक्रिया का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश तक किया जाता है, क्या हमें धारा 87 का अर्थ इस तरह लगाना चाहिए कि सी. पी. सी. के आदेशों में से किसी एक में नियमों में बाद में संशोधन के विस्तार को केवल इस आधार पर रोका जा सके कि इसका प्रभाव किसी मौजूदा कानून को बदलने या संशोधित करने पर पड़ेगा? हम समझते हैं कि इस प्रकार धारा 87 जैसे प्रावधान के दायरे को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करना सही नहीं होगा। हम समझते हैं कि इस सिद्धांत को रखने का बेहतर तरीका यह कहना है कि मौजूदा कानून में परिवर्धन करने वाले अधिनियम का विस्तार भी धारा 87 के तहत तब तक स्वीकार्य होगा जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या निहित रूप से पहले से मौजूद कानून के साथ निरसन या टकराव नहीं करता है या इसके प्रतिकूल नहीं है। इस संदर्भ में, संदर्भ

हरि शंकर बागला में टिप्पणियों को उपयोगी बनाया जा सकता है [हरिशंकर बागला बनाम। एम. पी. राज्य, (1955) 1 एस. सी. आर. 380] पी. 391 , जो मौजूदा [2019] 17 एस. सी. आर. को "दरकिनार" करते प्रतीत होते हैं।

प्रत्यायोजित विधान के एक टुकड़े द्वारा कानून बनाना और केवल मौजूदा कानून को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा निरस्त करने के अपने प्रयास पर रेखा खींचना। एक अर्थ में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी जोड़, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, मौजूदा कानून में संशोधन या बदलाव करता है, लेकिन जब तक यह वास्तव में इससे अलग या इसके साथ संघर्ष नहीं करता है, तब तक कोई कारण नहीं है कि इसे मौजूदा कानून के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे विचार में धारा 87 की व्याख्या रचनात्मक रूप से की जानी चाहिए ताकि इसके उद्देश्य को प्राप्त करने की अनुमति दी जा सके न कि इस तरह से जो इसकी प्रभावकारिता या उद्देश्य से विचलित हो जाए। हम यह भी नोट कर सकते हैं, संयोग से विधायी व्यवहार में भी, इस तरह के क्रमिक परिवर्तनों को एक साथ खड़े होने की अनुमति दी गई है। लछमी नारायण बनाम। भारत संघ [(1976) 2 एस. सी. सी. 953] बताता है कि कैसे बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 को अधिनियम III के तहत दिल्ली तक बढ़ाया गया था, जिसे बाद में 1956 और 1959 के संसद अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया था, लेकिन समय-समय पर विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा इसे संशोधित करने की भी मांग की गई थी। इन अधिसूचनाओं को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अधिसूचना द्वारा विस्तार करने की शक्ति का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है और यह कि विवादित अधिसूचना न केवल विस्तारित हुई है, बल्कि एक अधिसूचना में संशोधन भी किया गया है।

अधिनियम में सारवान प्रकृति का विस्तार करने की मांग की गई। हालाँकि, इस बात पर कोई विवाद नहीं उठाया गया कि 1956 और 1959 में संसद के हस्तक्षेप के बाद बंगाल अधिनियम का कोई विस्तार नहीं हो सकता था क्योंकि इसका बंगाल अधिनियम को जोड़ने या बदलने का प्रभाव पड़ता।

संसदीय कानून जाहिरा तौर पर इसलिए क्योंकि वे पक्ष में खड़े हो सकते थे

एक-दूसरे के साथ। इसलिए, हम सोचते हैं कि 1985 के अधिनियम के विस्तार के बाद से केवल उन पहलुओं के संबंध में प्रावधान जोड़े गए हैं जो 1974 के अधिनियम में शामिल नहीं हैं और इस तरह से नहीं इसके साथ असंगत, विवादित अधिसूचना काफी वैध है और निरस्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

18. सशर्त कानून और प्रत्यायोजित के बीच का अंतर

इस न्यायालय द्वारा वासु देव सिंह बनाम में व्याख्या की गई थी। संघ का

निम्नलिखित शब्दों में:

" 16. सशर्त कानून के बीच अंतर और

प्रत्यायोजित विधान स्पष्ट और असंदिग्ध है। एक शर्त में

प्रतिनिधि को किसी क्षेत्र में कानून लागू करना होता है या इसे लागू करने का समय और तरीका निर्धारित करना होता है।

उस समय, जब वह निर्णय लेता है या विधान के नियम को समझता है,

6) 12 एस. सी. सी. 753 1 कृष्ण ग्रोवर और अन्य बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

इसे लागू किया जाना चाहिए। किसी विधान का प्रभाव लेना, इसलिए, इस तथ्य के निर्धारण पर निर्भर किया जाता है

या सरकार के कार्यकारी अंग द्वारा शर्त।

हालाँकि, प्रत्यायोजित विधान में कानून बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन शामिल है और एक कार्यकारी प्राधिकरण को उसके कारण से ऐसे क्षेत्र को लागू करने के लिए अधिकृत करता है। प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से कार्यपालिका को दिया गया विवेकाधिकार बहुत व्यापक है। तथापि, नियम या विनियम बनाने की ऐसी शक्ति का प्रयोग अधिनियम के चारों कोणों के भीतर किया जाना चाहिए। प्रत्यायोजित कानून,

इस प्रकार, एक उपकरण है जिसे विधानमंडल द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग विधान में ही निर्धारित तरीके से किया जाना है।

17. हमरद दवाखाना बनाम। भारत संघ यह न्यायालय

कहा गयाः

" सशर्त कानून और प्रत्यायोजित के बीच का अंतर विधान यह है कि पूर्व में प्रतिनिधि की शक्ति यह निर्धारित करने की है कि कब एक विधायी घोषित आचरण नियम होगा

प्रभावी बनें; हैम्पटन एंड कंपनी बनाम अमेरिका और उत्तरार्द्ध में शासन बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन शामिल है जो संवैधानिक रूप से हो सकता है

प्रशासनिक अभिकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि विधायिका ने कानून में अपनी नीति के व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित किया है, फिर प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जाने के लिए विवरण छोड़ सकती है। दूसरे शब्दों में प्रत्यायोजित विधान द्वारा प्रतिनिधि कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर विवरण प्रदान करके कानून को पूरा करता है और सशर्त विधान के मामले में विधान की शक्ति का प्रयोग विधायिका द्वारा किया जाता है।

सशर्त रूप से किसी बाहरी प्राधिकारी के विवेक पर अपने विधान को लागू करने का समय और तरीका छोड़ देना और साथ ही

जिस क्षेत्र तक इसका विस्तार किया जाना है, उसका निर्धारण; '9999

वर्तमान मामले में, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में संशोधन अधिनियम का विस्तार सशर्त के दायरे में आता है। प्रत्यायोजन वैध और अनुमेय है।

19. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में और रमेश बिर्च (उपरोक्त) में बताए गए कारणों के लिए, हम अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए पहले तर्क को अस्वीकार कर देंगे। एक बार जब संसद द्वारा कानूनों के विस्तार की नीति निर्धारित कर दी गई है और यह स्पष्ट और अनुमेय है, तो यह केवल एक अपरिहार्य परिणाम के रूप में प्रतीत होगा कि कार्यपालिका को मौजूदा कानूनों में भविष्य के संशोधनों का विस्तार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए, अत्यधिक प्रत्यर्पण, शक्तियों के पृथक्करण, एजेंसी के कानून के सिद्धांत पर आधारित चुनौती विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। इस तरह की चुनौती को दिनांकित अधिसूचना 09.10.2009 के बल पर अनिवासी भारतीय मकान मालिकों द्वारा दायर बड़ी संख्या में बेदखली के मुकदमों को देखते हुए भी खारिज किया जाना चाहिए, जो इसके विपरीत दलीलों को स्वीकार किए जाने पर उपचार से वंचित रह जाएंगे।

ख. क्या पंजाब के राज्य विधानमंडल द्वारा अनिवासी भारतीयों के अधिकारों के संबंध में संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन इसके दायरे से बाहर थे।

योग्यता?

20. यह तर्क कि पंजाब के राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित संशोधन अधिनियम ने उसे सौंपे गए अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है या

संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत विधायी सूचियों में प्रविष्टियों के निर्माण पर आधारित संशोधन अधिनियम की वास्तविक प्रकृति और चरित्र या सार और सार का पता लगाकर किसी निषिद्ध क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है।

21. तीन सूचियों से प्रासंगिक प्रविष्टियाँ जो जर्मन हैं

संशोधन अधिनियम की प्रकृति और चरित्र का निर्धारण इस प्रकार हैः

प्रविष्टि 17-नागरिकता, प्राकृतिककरण और विदेशी। प्रविष्टि 18-प्रत्यर्पण।

प्रविष्टि 19-भारत में प्रवेश, और उत्प्रवास और निष्कासन; पासपोर्ट और वीजा।

सूची II

प्रविष्टि 18-भूमि, अर्थात भूमि में या उस पर अधिकार, भूमि स्वामी और किरायेदार के संबंध सहित भूमि कार्यकाल, और राम कृष्ण ग्रोवर और अन्य बनाम।

किराए का संग्रह; कृषि भूमि का हस्तांतरण और अलगाव; भूमि सुधार और कृषि ऋण; और उपनिवेशीकरण।

सूची III

प्रविष्टि 6-कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण; विलेखों और दस्तावेजों का पंजीकरण।

प्रविष्टि 7-साझेदारी, एजेंसी, अनुबंध सहित अनुबंध

परिवहन, और अनुबंधों के अन्य विशेष रूप, लेकिन कृषि भूमि से संबंधित अनुबंध शामिल नहीं हैं।

प्रविष्टि 13-सिविल प्रक्रिया, जिसके प्रारंभ में सिविल प्रक्रिया संहिता में शामिल सभी मामले शामिल हैं।

संविधान, सीमा और मध्यस्थता।

निर्माण जब तक कि उनकी कठोरता और आयात को नपुंसक बनाने की आवश्यकता न हो प्रतिस्पर्धी प्रविष्टियाँ और संविधान के अन्य भाग। प्रत्येक प्रविष्टि की व्याख्या निष्पक्ष और उदार होनी चाहिए ताकि सभी आनुषंगिक और सहायक मामलों को शामिल किया जा सके जिन्हें उचित रूप से कहा जा सकता है

उसमें समझ में आता है। प्रविष्टियों की व्याख्या संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण अर्थों में नहीं की जानी चाहिए। पीठ एंड सब्सटेंस सिद्धांत में कहा गया है कि यदि कानून एक प्रविष्टि द्वारा कवर किया गया है, यानी यह विधायिका के अनुमत अधिकार क्षेत्र के भीतर है, तो प्रतिद्वंद्वी क्षेत्र में किसी भी आकस्मिक अतिक्रमण की अवहेलना की जानी चाहिए। केवल तभी जब किसी प्रविष्टि के व्यापक निर्माण से उसी या अलग-अलग सूची में किसी अन्य प्रविष्टि के साथ टकराव होता है, तो सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत संघर्ष को समेटने और उनमें से प्रत्येक को प्रभावी बनाने के लिए लागू होता है।

23. केंद्रीय और राज्य अधिनियम के बीच वैमनस्य तब उत्पन्न होता है जब दोनों अधिनियमों के बीच प्रत्यक्ष और अपरिवर्तनीय संघर्ष होता है। यह तब होता है जब दोनों विधानों के बीच एक अपरिवर्तनीय संघर्ष होता है कि केंद्रीय विधान संविधान के अनुच्छेद 254 के आधार पर प्रबल होता है। इस तरह की असंगति या असंगति का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि तीन सूचियों में प्रविष्टियां आकस्मिक अतिक्रमण की अनुमति देती हैं। नतीजतन, संघर्ष को शांत करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और केवल तभी जब और विरोधात्मक टकराव के मामले में, न्यायालय को अपने वैध और कानूनी सीमाओं से परे अतिक्रमण के रूप में कानून को रद्द करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. विजय कुमार शर्मा और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य, इस न्यायालय ने "सार और सार" सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा था कि किसी विशेष विधान में अपने प्रमुख उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए एक प्रावधान संयोग से उसी विषय वस्तु का अतिक्रमण कर सकता है जो किसी अन्य विधान के प्रावधान में शामिल है। एक अलग संदर्भ में एक ही क्षेत्र का ऐसा आंशिक कवरेज और एक प्राप्त करने के लिए

भिन्न उद्देश्य उस तिरस्कार को नहीं लाता है जिसे अनुच्छेद 254 (2) द्वारा कवर करने का इरादा है। घृणा उत्पन्न होने और अनुच्छेद 254 को आकर्षित करने के लिए दोनों विधानों को एक ही विषय पर होना चाहिए। यदि विधानों द्वारा कवर किए गए विषय अलग-अलग हैं, तो केवल इसलिए कि दोनों विधान कुछ संबद्ध या संज्ञानात्मक विषयों को संदर्भित करते हैं, वे एक ही क्षेत्र को कवर नहीं करते हैं।

25. इंदु भूषण बोस बनाम मामले में इस न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ का निर्णय। राम सुंदरी देवी और अन्य ने अन्य बातों के साथ-साथ

यह देखने के लिए कि मकान मालिक और किरायेदार के बीच संबंधों के संबंध में कानून बनाने की सामान्य शक्ति का पता या तो सूची II की प्रविष्टि 18 या सूची III की प्रविष्टि 6 और 7 के तहत लगाया जा सकता है, सूची I में प्रविष्टि 3, सूची II में प्रविष्टि 18 और सूची III में प्रविष्टि 6,7 और 13 की जांच की गई। सूची II की प्रविष्टि 18 में दिखाई देने वाली 'मकान मालिक और किरायेदार के संबंध सहित भूमि कार्यकाल' अभिव्यक्ति का उपयोग केवल खाली भूमि के संबंध में मकान मालिक और किरायेदार के संबंध के संदर्भ में किया गया था और इसमें भवनों की किरायेदारी या आवास शामिल नहीं है। फिर भी, न्यायालय ने निश्चित शब्दों में कोई निष्कर्ष नहीं दिया क्योंकि विचाराधीन मकान मालिक और किरायेदार का संबंध एक छावनी क्षेत्र में स्थित आवास के संबंध में था और इसलिए था

सूची I की प्रविष्टि 3 के अंतर्गत आती है जो संसद में छावनी क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति निहित करती है। जयसिंह जयराम त्यागी और अन्य बनाम में बाद का निर्णय। मामनचंद रतिलाल अग्रवाल और अन्य और वी. धनपाल चेट्टियार बनाम में एक संविधान पीठ का निर्णय। यशोदाई अम्मल 1 ओ काफी हद तक इंदु भूषण (उपरोक्त) का अनुसरण करते हुए मानते हैं कि आवास और आवास का विषय समवर्ती सूची के दायरे में आता है।

26. लेखाकार और सचिवीय सेवाएँ प्रा. लि. लिमिटेड और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य 1 1, इस न्यायालय ने जांच की थी

7 (1990) 2 एस. सी. सी. 562

8 (1969) 2 एससीसी 289

9 (1980) 3 एससीसी 162

10 (1979) 4 एससीसी 214

(1988) 4 एस. सी. सी. 324 राम कृष्ण ग्रोवर और अन्य बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

केंद्रीय अधिनियम के बीच प्रतिकूलता और परस्पर क्रिया का प्रश्न। सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 पश्चिम बंगाल सार्वजनिक भूमि (भूमि की बेदखली) के प्रारूप पर आधारित है।

अनाधिकृत अधिभोगियों) अधिनियम, 1962 और पश्चिम बंगाल परिसर किरायेदारी अधिनियम, 1956 और यह प्रश्न कि इनमें से कौन से अधिनियम प्रबल होंगे। न्यायालय ने सूची I की प्रविष्टियाँ 3,32,43 और 44, सूची II की प्रविष्टियाँ 18 और सूची III की प्रविष्टियाँ 5,6 और 7 की व्याख्या की थी।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 में संबंधित प्रविष्टियों में यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि तीनों विधान समवर्ती सूची में निहित मामलों के संबंध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किए गए थे। एक ओर केंद्रीय अधिनियम के बीच प्रतिकूलता और संघर्ष को देखते हुए और दूसरी ओर राज्य का कानून, अनुच्छेद 254 के संदर्भ में, केंद्रीय अधिनियम प्रबल होगा। इसके अलावा, पहले के उदाहरणों के बावजूद, न्यायालय ने लागू प्रासंगिक प्रविष्टि के प्रश्न की जांच की थी

और उनकी शक्ति के अनुसार भूमि और भवनों आदि का उत्तराधिकार और उन्हें अस्थिर बना देगा। 27. इसके वास्तविक निर्माण पर और "पीठ और पदार्थ" के सिद्धांत के संदर्भ में संशोधन अधिनियम संबंध से संबंधित है।

आवास और आवास के लिए मकान मालिक और किरायेदार और समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य गैर-निवासी भारतीय जमींदारों और किरायेदारों के बीच आवास और आवास के संबंध को विनियमित करना है। केवल इसलिए कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संशोधन अधिनियम किराए में अनिवासी भारतीय जमींदारों के संबंध में विषय वस्तु को छूता है।

अधिनियम, संशोधन या किराया अधिनियम को संविधान के अधिकार से बाहर नहीं बनाता है। संशोधन अधिनियम और [2019] 17 एस. सी. आर. द्वारा संशोधित किराया अधिनियम।

नागरिकता, गैर-निवासियों के अचल संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण के अधिकार के विनियमन से संबंधित केंद्रीय कानून, विभिन्न विषय मामलों को शामिल करते हैं और विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हैं और कोई प्रतिकूलता नहीं है। किराया अधिनियम और किसी भी केंद्रीय अधिनियम जैसे नागरिकता अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, आदि के बीच। हम इस विचार से सहमत नहीं हैं कि सातवीं अनुसूची के तहत विधायी सूचियों में केंद्र सरकार द्वारा गैर-कानूनी लोगों के लिए अलग कानून बनाने की परिकल्पना की गई है और इसे अनिवार्य किया गया है।

निवासी भारतीय जमींदार। 28. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित संशोधन अधिनियम अपनी क्षमता के भीतर था। हम.

हालाँकि, यह ध्यान दिया जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के संदर्भ में और चूंकि विषय वस्तु समवर्ती सूची में आती है, इसलिए विधायी निकाय की क्षमता पर निर्णय लेना महत्वपूर्ण नहीं होगा।

केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 246 (4) के तहत संसद के पास निहित है। पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87 के संदर्भ में, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक कानूनों का विस्तार करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास निहित है, जो कि संसद या केंद्रीय कार्यपालिका है, जैसा भी मामला हो, और इसकी अनुमति है।

ग. क्या किराया अधिनियम की धारा 13-बी मनमाना और अनुचित है क्योंकि यह किसी भी कानूनी खर्च को वहन नहीं करती है।

किरायेदारों के लिए उपाय?

29. इससे पहले कि हम इस प्रश्न पर गौर करें, हम पुनः पेश करेंगे।

किराया अधिनियम की धारा 19 (2-बी) जो निम्नानुसार हैः

" 19. (2 - बी) मालिक, जो एक अनिवासी भारतीय है और जिसने धारा 13-बी के तहत किए गए आदेश के अनुसरण में किसी आवासीय भवन या अनुसूचित भवन और/या गैर-आवासीय भवन से किसी किरायेदार को बेदखल कर दिया है, वह ऐसी बेदखली की तारीख से लगातार तीन महीने की अवधि के लिए उस पर कब्जा नहीं करता है, या ऐसी इमारत का पूरा या कोई हिस्सा, जिसमें से किरायेदार को धारा 13-बी की उप-धारा (3) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किरायेदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बेदखल किया गया था, उसे किराए पर नहीं देता है, वह एक अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो छह महीने तक बढ़ सकता है या जुर्माने से जो एक हजार तक बढ़ाया जा सकता है।

रुपया या दोनों। "

इस प्रावधान में धोखेबाज़ और दो-मुखी मकान मालिकों की जाँच करने और उन्हें दंडित करने के लिए वैधानिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं और यह अधिकार देता है ठगे गए किरायेदार को प्रतिपूर्ति।

1 कृष्ण ग्रोवर और अन्य बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

30. किराया अधिनियम की धारा 18-ए एक संक्षिप्त प्रक्रिया निर्धारित करती है।

किराया अधिनियम की धारा 13-बी के तहत भारतीय मकान मालिकों को ऋण दिया गया। उप.किराया अधिनियम की धारा 18-ए पर (4), (5), (6) और (8) आरोप लगाए गए हैं:

उप-धारा (3) के तहत वैध घोषित किया गया है, आवासीय से बेदखली के लिए प्रार्थना करने का कोई अधिकार नहीं है

भवन या अनुसूचित भवन और/या गैर-आवासीय भवन, मामला तब तक हो सकता है जब तक कि वह आधार बताते हुए एक हलफनामा दायर न करे

समन या उसके अनुसरण में उसकी उपस्थिति का चूक ऐसी छुट्टी प्राप्त करना, निर्दिष्ट मकान मालिक द्वारा दिया गया बयान

या, जैसा भी मामला हो, विधवा, विधुर, बच्चा, पोता या

ऐसे विनिर्दिष्ट मकान मालिक की विधवा बहू या

मालिक, जो बेदखली के आवेदन में एक अनिवासी भारतीय है

किरायेदार और आवेदक द्वारा भर्ती माना जाएगा।

किरायेदार को बेदखल करने के आदेश का हकदार होगा। (5) नियंत्रक किरायेदार को चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दे सकता है

आवेदन यदि किरायेदार द्वारा दायर हलफनामा ऐसे तथ्यों का खुलासा करता है

ऐसे निर्दिष्ट मकान मालिक या मालिक का कानून, जो एक अनिवासी है भारतीय, कब्जे की वसूली के लिए आदेश प्राप्त करने से

आवासीय भवन या अनुसूचित भवन और/या गैर

यथास्थिति, धारा 13-क के अधीन आवासीय भवन या

धारा 13-बी।

(6) जहाँ किरायेदार को आवेदन का विरोध करने के लिए अनुमति दी जाती है,

जिस तारीख को छुट्टी दी जाती है, उससे एक महीने से अधिक चुनाव लड़ने के लिए किरायेदार और दिन-प्रतिदिन आवेदन की सुनवाई करेगा

जब तक सुनवाई समाप्त नहीं हो जाती और आवेदन पर निर्णय नहीं हो जाता।

XX

(8) किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील या दूसरी अपील नहीं होगी।

किसी आवासीय या अनुसूचित भवन के कब्जे की वसूली

भवन और/या गैर-आवासीय भवन, जैसा भी मामला हो, बनाया गया [2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि उच्च न्यायालय, संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं कि इस धारा के तहत नियंत्रक द्वारा दिया गया आदेश कानून के अनुसार है, मामले के रिकॉर्ड की मांग करें और पारित करें

उसके संबंध में ऐसा आदेश जो वह उचित समझे। 31. बलदेव सिंह बाजवा बनाम। मोनिश सैनी 1 2, यह अदालत

किराया अधिनियम की धारा 18-ए के प्रावधानों में कहा गया थाः

" 11. [.....] इन प्रावधानों से संकेत मिलता है कि मकान मालिक के आवेदन को चुनौती देने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए, किरायेदार को दाखिल करना पड़ता है

एक शपथ पत्र जिसके आधार पर वह उस आवेदन को चुनौती देना चाहता है। यदि किरायेदार द्वारा दायर हलफनामे में ऐसे तथ्यों का खुलासा किया जाता है जो एनआरआई मकान मालिक को तत्काल कब्जे की वसूली के लिए आदेश प्राप्त करने से वंचित कर देंगे, तो नियंत्रक मंजूरी देगा।

निष्कासन। एक बार छुट्टी दिए जाने के बाद, आवेदन की आवश्यकता होती है - न्यायालय में लागू प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाए

छोटे कारण। शुरू करने के लिए नियंत्रक की आवश्यकता होती है

जिस तारीख को किरायेदार को चुनाव लड़ने के लिए छुट्टी दी जाती है, उस तारीख से एक महीने के भीतर सुनवाई। सुनवाई समाप्त होने और आवेदन पर निर्णय होने तक आवेदन पर दिन-प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी। नियंत्रक द्वारा किए गए सूट आवास के कब्जे की वसूली का निर्देश देने का आदेश अपील या दूसरी अपील के अधीन नहीं है। हालांकि, उच्च न्यायालय मामले के रिकॉर्ड के लिए कह सकता है

स्वयं को संतुष्ट करें कि नियंत्रक द्वारा पारित आदेश में है कानून के अनुसार और ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे। ”

32. रवि दत्त शर्मा बनाम। रतन लाल भार्गव 1 3, इस न्यायालय ने किराया नियंत्रण कानून के उद्देश्य पर विचार किया और एक वर्ग के सरदारों के लिए त्वरित, प्रभावी और त्वरित उपचार प्रदान करने के लिए भी सम्मिलन किया, जिनके लिए प्रामाणिक उपयोग के लिए परिसर की आवश्यकता होती है।

" 7. [.....] संशोधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य [है] प्रदान करना

एक वर्ग के लिए एक त्वरित, त्वरित और प्रभावी उपाय

धारा 14 (1) (ई) और 14-ए द्वारा विचार किए गए मकान मालिक और किराया अधिनियम द्वारा अन्यथा प्रदान की गई असामान्य विलंबकारी प्रक्रिया से बचने के लिए। यह आम अनुभव है जो बेदखली के लिए उपयुक्त है

05) 12 एस. सी. सी. 778

84) 2 एस. सी. सी. 75 राम कृष्ण ग्रोवर और अन्य बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

अधिनियम में किराया नियंत्रक से शुरू होकर उच्चतम न्यायालय तक पहुंचने में लंबा समय लगता है। कई मामलों में अनुभव ने संकेत दिया है कि जब तक बेदखली का आदेश अंतिम हो गया, तब तक कई साल बीत चुके थे और या तो मकान मालिक की मृत्यु हो गई थी या कार्रवाई का कारण प्रदान करने वाली आवश्यकता गायब हो गई थी और अगर बेदखली हासिल करने में और देरी हुई थी और तब तक मकान मालिक के परिवार का विस्तार हो गया था, तो आवास के अभाव में परिवार के सदस्यों को लगभग सड़क पर फेंक दिया गया था। यह वह शरारत थी जिससे विधायिका का बचना था अध्याय III-ए में नई प्रक्रिया को शामिल करना। विधायिका ने अपने विवेक में सोचा कि ऐसे मामलों में जहां जमींदार

प्रामाणिक और व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए उनके अपने परिसर की आवश्यकता थी, उन्हें एक अलग वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए

धारा 14-ए द्वारा कवर किए गए मकान मालिकों को जल्द से जल्द संभव समय के भीतर बेदखली के लिए फरमानों का फल प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि इस प्रकार का वर्गीकरण मकान मालिक अनुचित होगा क्योंकि इस तरह के वर्गीकरण का संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और उन उद्देश्यों के साथ स्पष्ट संबंध है जिन्हें वह कम करना चाहता है।

33. किराया अधिनियम की धारा 18-ए में नियंत्रक से दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले को उठाने की अपेक्षा की गई है जब तक कि बचाव की अनुमति के लिए आवेदन पर सुनवाई समाप्त नहीं हो जाती। कोई भी वादी संभवतः ए पर आपत्ति नहीं कर सकता है

दिन-प्रतिदिन की सुनवाई निर्धारित करने का प्रावधान जो त्वरित, त्वरित और प्रभावी निर्णय सुनिश्चित करता है। रवि दत्त शर्मा (ऊपर) में इस न्यायालय की टिप्पणियां उपयुक्त हैं। धारा 18-ए में यह भी कहा गया है कि नियंत्रक का निर्णय अंतिम है क्योंकि कोई अपील या दूसरी अपील नहीं है।

बेदखली के आदेश के खिलाफ है सिवाय इसके कि उच्च न्यायालय, निर्णय की शुद्धता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए, मामले के रिकॉर्ड बुलाकर मामले की जांच कर सकता है। इसी तरह की चुनौती को इस आधार पर खारिज करते हुए कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 का 25-बी केवल सिंह बनाम मामले में बेदखली के आदेश के खिलाफ अपील या दूसरी अपील का प्रावधान नहीं करता है। श्रीमती. लाजवंती 1 4 यह देखा गयाः

" 19. [...] अपील विशुद्ध रूप से क़ानून का एक हिस्सा है और यह अधिकार अनावश्यक देरी को कम करने के लिए नहीं दिया गया है। इसके बजाय राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को पुनरीक्षण की व्यापक शक्ति दी गई है जहां उक्त न्यायालय किरायेदार और मकान मालिक के मामले और पारित आदेश की वैधता की जांच कर सकता है।

14 (1980) 1 एस. सी. सी 290 [2019] 17 एस. सी. आर.

नियंत्रक द्वारा। इसलिए, ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 25 ख की उप-धारा (8) के परंतुक द्वारा किरायेदार का अधिकार पर्याप्त रूप से सुरक्षित है। कानून या तथ्य की किसी भी स्पष्ट त्रुटि के खिलाफ किरायेदार को राहत देने के लिए जहां कोई संशोधन नहीं किया गया है

उच्च न्यायालय में दायर किया गया कानून समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है

नियंत्रक "।

34. बलदेव सिंह बाजवा (ऊपर) में धारा 13-बी के तहत अनिवासी और मकान मालिकों की 'वास्तविक आवश्यकता' की आवश्यकता पर,

एस स्पष्ट किया गयाः

किसी किरायेदार को भ्रमित या अपमानित नहीं किया जाता है। 15. बेगा बेगम बनाम। अब्दुल अहद खान ने इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि "उचित आवश्यकता" शब्द निस्संदेह यह अभिनिर्धारित करते हैं कि केवल इच्छा या इच्छा के विपरीत आवश्यकता का एक तत्व होना चाहिए। इच्छा और आवश्यकता के बीच का अंतर

निस्संदेह ध्यान में रखा जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है कि

वास्तविक आवश्यकता एक इच्छा के अलावा और कुछ नहीं है।

16. सुरजित सिंह कालरा बनाम। भारत संघ एक तीन-न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः " 20. निश्चित रूप से किरायेदार सभी प्रासंगिक मुद्दों को उठाने का हकदार है।

वर्गीकृत जमींदारों के दावे के विरुद्ध विवाद। यह तथ्य कि धारा 14-बी से 14-डी में प्रामाणिक आवश्यकता शब्दों का कोई संदर्भ नहीं है, मकान मालिक को यह साबित करने से या किरायेदार को यह दिखाने से मुक्त नहीं करता है कि उसकी आवश्यकता प्रामाणिक नहीं है। वास्तव में बेदखली के लिए प्रत्येक दावा 1 कृष्ण ग्रोवर और अन्य v.

भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

एक किरायेदार के खिलाफ एक प्रामाणिक होना चाहिए। धारा 25-बी के शीर्षक से इस निर्माण के समर्थन में पर्याप्त संकेत भी हैं, जिसमें कहा गया है कि बेदखली के लिए आवेदनों के निपटारे के लिए 'प्रामाणिक आधार पर विशेष प्रक्रिया' है।

आवश्यकता '।

17. शिव सरूप गुप्ता बनाम। डॉ. महेश चंद गुप्ता यह

न्यायालय ने प्रामाणिक आवश्यकता के पहलू पर विचार करते हुए कहा है कि महसूस की गई आवश्यकता की भावना जो एक ईमानदार, ईमानदार इच्छा का परिणाम है, केवल ढोंग या बहाने के विपरीत है। किसी किरायेदार को बेदखल करना, मकान मालिक के मन की स्थिति को संदर्भित करता है। मकान मालिक के दिमाग में झाँकने का एकमात्र तरीका है तथ्यों के न्यायाधीश द्वारा खुद को मकान मालिक की कुर्सी पर रखकर और फिर उनसे सवाल पूछना।

स्वयं क्या दिए गए तथ्यों में, मकान मालिक द्वारा प्रमाणित, परिसर पर कब्जा करने की आवश्यकता को स्वाभाविक, वास्तविक, ईमानदार और ईमानदार कहा जा सकता है।

18. उपरोक्त निर्णयों से सूट आवास के मकान मालिक की आवश्यकता को एक वास्तविक आवश्यकता के रूप में स्थापित किया जाना है न कि आवास खाली करने के बहाने के रूप में। द.

धारा 18-ए (4) और (5) के प्रावधान धारा 13-बी के तहत शुरू की गई कार्यवाही का बचाव करने के किरायेदार के अधिकार को स्वीकार करते हैं।

यह दर्शाता है कि मकान मालिक की आवश्यकता वास्तविक या प्रामाणिक नहीं है। एक विशेष की स्थापना के लिए विधायी इरादा

एन. आर. आई. जमींदारों के लिए प्रक्रिया विधायी पाठ से स्पष्ट है जिसे जानबूझकर सामान्य जमींदारों और विशेष श्रेणी के जमींदारों के बीच अंतर करते हुए तैयार किया गया है। धारा 13-बी के तहत दायर आवेदन को चुनौती देने के लिए अनुमति देने की नियंत्रक की शक्ति इस शर्त से प्रतिबंधित है कि किरायेदार द्वारा दायर हलफनामा ऐसे तथ्य का खुलासा करता है जो किरायेदार को अयोग्य ठहराएगा।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संक्षिप्त कार्यवाही में किरायेदार का आवेदन को चुनौती देने का अधिकार इस तक सीमित होगा - अधिनियम की धारा 13-बी के मापदंड। वह विस्तार नहीं कर सकता है

किसी अन्य तथ्य पर भरोसा करके उसके बचाव का दायरा जो धारा 13-बी के मापदंडों के भीतर नहीं आता है। किरायेदार का बचाव प्रतिबंधित है और एनआरआई मकान मालिक पर लागू अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से परे नहीं जा सकता है। के तहत

धारा 13-बी मकान मालिक बेदखली का हकदार है यदि उसे [2019] 17 एस. सी. आर. की आवश्यकता है।

जो आम तौर पर उसके साथ रहता है। आवश्यकता अनिवार्य रूप से वास्तविक या प्रामाणिक आवश्यकता होनी चाहिए और यह नहीं कहा जा सकता है कि हालांकि आवश्यकता वास्तविक या प्रामाणिक नहीं है, वह किरायेदार को बाहर निकालने का हकदार होगा और न ही यह कहा जा सकता है कि किसी भी परिस्थिति में किरायेदार को यह साबित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि मकान मालिक की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक या प्रामाणिक। धारा 13-बी के तहत मकान मालिक के दावे का बचाव करने का किरायेदार का अधिकार उत्पन्न होगा यदि किरायेदार यह दिखाने में सक्षम हो सकता है कि कार्यवाही में मकान मालिक है।

एक एनआरआई मकान मालिक नहीं है; कि वह इसका मालिक नहीं है या उसका स्वामित्व कार्यवाही की स्थापना से पहले पांच साल की आवश्यक अवधि के लिए नहीं है और मकान मालिक की आवश्यकता है।

यह सही नहीं है "।

35. किराया अधिनियम की धारा 13-बी के संदर्भ में, मकान मालिक को बेदखल करने से पहले पांच साल तक परिसर का मालिक होना चाहिए था।

याचिका दायर की जाती है। ऐसे मकान मालिक/मालिक को जीवनकाल में केवल एक बार और एक इमारत के संबंध में बेदखली याचिका दायर करने की अनुमति है। किराया अधिनियम की धारा 13-बी की उप धारा (3) किरायेदार से कब्जा लेने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए परिसर की बिक्री या पट्टे पर प्रतिबंध लगाती है। शर्तों के उल्लंघन पर /

धारा 13-बी की उप-धारा (3) में उल्लिखित प्रतिबंधों के अनुसार, किरायेदार को अधिकार की बहाली की मांग करने का अधिकार है। उप-धारा (2-बी) से धारा

19 यदि मकान मालिक बेदखली का आदेश प्राप्त करने के बाद लगातार तीन महीने तक परिसर पर कब्जा नहीं करता है या पूरे या परिसर के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देता है तो अधिकतम छह महीने के कारावास या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों का दंड लगाया जाता है।

धारा 13-बी की उप-धारा (3) के प्रावधानों के उल्लंघन में किरायेदार के अलावा तीसरा व्यक्ति। बलदेव सिंह बाजवा (ऊपर) के तर्क से पता चलता है कि ये प्रतिबंध और शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत हैं कि मकान मालिक की आवश्यकता वास्तविक और प्रामाणिक होनी चाहिए और किरायेदार को झूठे दावों पर भरोसा करके तुच्छ और संदिग्ध बेदखली आदेश के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

36. याचिका में मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता के संबंध में की गई धारणा को स्वयंसिद्ध या आत्म-स्पष्ट सत्य के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जो मकान मालिक को अधिकार देता है और अदालत को बेदखली की डिक्री पारित करने का आदेश देता है। बलदेव सिंह बाजवा (ऊपर) में पैराग्राफ 20 और 21 में इस न्यायालय द्वारा बाद में दिए गए स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है।

सही अनुपात, हमारी राय में, पैराग्राफ 25 में परिलक्षित होता है जो इस प्रकार हैः

एक इमारत को संक्षिप्त तरीके से खाली कराना। एक अनिवासी भारतीय मकान मालिक को यह साबित करना आवश्यक है किः ((i) वह एक एनआरआई है; (ii) वह स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से भारत लौट आया है। अवधि ;
(iii) उसके या उसके आश्रित द्वारा आवास की आवश्यकता वास्तविक है; और (iv) वह कार्यवाही शुरू होने से पहले पिछले पांच वर्षों से संपत्ति का मालिक है।

नियंत्रक के समक्ष निष्कासन के लिए। एनआरआई मकान मालिक के आवेदन को चुनौती देने के लिए अनुमति मांगने वाले किरायेदार के हलफनामे को अधिनियम की धारा 13-बी के तहत निष्कासन प्राप्त करने के लिए खुद को उन आधारों तक सीमित रखना चाहिए जो एनआरआई मकान मालिक को साबित करने की आवश्यकता है। धारा 13-बी के तहत दायर आवेदन को चुनौती देने के लिए अनुमति देने की नियंत्रक की शक्ति आधारों और पहलुओं पर जांच तक सीमित है।

धारा 13-ख में विनिर्दिष्ट। किरायेदार केवल तभी चुनाव लड़ने की अनुमति का हकदार होगा जब वह उन आधारों को चुनौती देने के लिए एक मजबूत मामला बनाएगा। जाँच धारा 13-बी तक ही सीमित रहेगी और नियंत्रक द्वारा किसी अन्य पहलू पर विचार नहीं किया जाएगा।

बचाव के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए एक 'मजबूत मामले' की आवश्यकता का अर्थ है एक अच्छा मामला जो उचित और अच्छी तरह से आधारित है।

जिसके आधार पर किरायेदार बेदखली की कार्यवाही को लड़ने के लिए अनुमति मांगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उस स्तर पर किसी भी संदेह और बहस से परे एक मामले को स्थापित और स्थापित किया जाए। उठाए गए आधार और दलीलें स्पष्ट और मजबूत बचाव को दर्शाती हैं और बलदेव सिंह बाजवा (ऊपर) में पैराग्राफ 25 में उल्लिखित आधारों से संबंधित होनी चाहिए। लागू किया गया मानक इंद्रजीत कौर बनाम में स्पष्ट किए गए मापदंडों के समान है। निर्पाल सिंह 1 5, जिसमें इस न्यायालय ने निर्णय दिया था कि बचाव करने की अनुमति

इसे केवल पूछने पर नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि जब याचिकाएं और दलीलें विचारणीय मुद्दे उठाती हैं और तथ्यों पर विवाद की मांग होती है कि दायर किए गए हलफनामों की सच्चाई का पता लगाने के बाद मामले का उचित निर्णय लिया जाए

गवाहों द्वारा उनकी प्रतिपरीक्षा में। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि किसी पूर्व-परिकल्पित अनुमानों और अनुमानों के आधार पर। अनिवासी भारतीयों द्वारा बेदखली की एक सरल प्रक्रिया का प्रावधान करके, धारा 13-बी किरायेदारों के अधिकारों को कम नहीं करती है। यह किरायेदारों को योग्यता के आधार पर अपनी योग्यता स्थापित करने का मौका देता है।

और जब मामले को मुकदमे में ले जाना उचित और आवश्यक हो। इसलिए, धारा 13-बी को मनमाना माना जा सकता है और

सोनैबल।

37. उपखंड (2) धारा 13-बी में दिखाई देने वाली 'एक इमारत' अभिव्यक्ति की जाँच इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई थी। निर्मल सिंह 1 6 पहले के फैसले का हवाला देते हुए

बलदेव सिंह बाजवा (ऊपर) में न्यायालय का कहना हैः

" 13. बलदेव सिंह बाजवा बनाम मामले में इस अदालत के फैसले पर रिलायंस को रखा गया था। मोनिश सैनी का वही सवाल था।

विचार के लिए प्रस्तुत करें और यह देखा गया कि धारा 13-बी के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट होगा कि एक एनआरआई को जीवन में एक बार एक इमारत को संक्षिप्त तरीके से खाली कराने के लिए कब्जा दिया जाता है। यह भी कहा गया कि

केवल एक भवन के संबंध में प्रत्यर्थी मकान मालिक के स्वामित्व पर याचिकाकर्ताओं द्वारा विवाद नहीं किया गया था और उनकी ओर से जो एकमात्र तर्क उठाया गया था वह यह था कि एक भवन में प्रत्येक अलग किरायेदारी एक अलग इकाई के बराबर होगी और एक बार संक्षिप्त कब्जे का अधिकार समाप्त होने के बाद, एनआरआई मकान मालिक को अब किसी विशेष भवन के लिए दूसरी बार इस तरह के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं था, जो विवाद था

नीचे की अदालतों द्वारा अस्वीकार किया गया। 14. हमने संबंधित पक्षों की ओर से की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हम याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई दलीलों से सहमत होने में असमर्थ हैं। व्याख्या

1949 की धारा 13-बी (1) के परंतुक को दिए जाने की मांग की गई

अधिनियम एक बेतुकी स्थिति की ओर ले जाएगा जो नहीं थी

2001 में संशोधन के माध्यम से धारा 13-बी के प्रावधानों को पेश करते समय विधायिका द्वारा विचार किया गया। बहुत ही वस्तु

संशोधन निराश होगा यदि संकीर्ण और याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रचार किए जाने का संकुचित अर्थ

स्वीकार किया जाना चाहिए। 15. बलदेव सिंह बाजवा मामले में 1949 के अधिनियम की धारा 13-बी के प्रावधानों की सही व्याख्या की गई है और उनसे निपटा गया है और इस मामले को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुमति याचिकाओं को विफल होना चाहिए और खारिज कर दिया जाना चाहिए। 9 9

तदनुसार तीसरा तर्क खारिज कर दिया जाता है।

-0) 9 एस. सी. सी. 452 राम कृष्ण ग्रोवर और अन्य बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

डी. क्या अनिवासी भारतीय जमींदारों को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करने से धारा 13-बी अमान्य हो जाती है और

संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है?

38. विधायिका का प्राथमिक कार्य सभी या विभिन्न समूहों या व्यक्तियों के वर्गों के लिए कानून बनाना है। निर्वाचित विधायक

नागरिकों की जरूरतों, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को जानने के लिए प्रतिनिधि किसी भी अन्य निकाय की तुलना में बेहतर स्थिति में होते हैं जो स्थानीय और अन्य परिस्थितियों से अलग होते हैं। इसलिए, यह केवल तर्कसंगत लगता है कि विधायिका के पास ऐसे कानूनों के अधीन व्यक्तियों या चीजों को अलग करने और वर्गीकृत करने की शक्ति है। हालाँकि, इस तरह का वर्गीकरण,

अनुच्छेद 14 को पारित करना चाहिए जो शत्रुतापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण है

भेदभाव। यह मानते हुए कि अनुच्छेद 14 कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेष विशिष्टताओं वाले कुछ व्यक्तियों को एक विशेष श्रेणी में समूहीकृत करके वर्गीकरण को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता है, यह न्यायालय राम कृष्ण डालमिया बनाम. न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर ने दो शर्तों को अभिनिर्धारित किया था जिन्हें अनुच्छेद 14 के तहत एक चुनौती का सामना करने के लिए वर्गीकरण के लिए संतुष्ट किया जाना चाहिए, अर्थात्: i) वर्गीकरण को बोधगम्य अंतर पर आधारित किया जाना चाहिए जो उन व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जो समूह से बाहर रह गए अन्य लोगों से एक साथ समूहीकृत हैं; और (ii) अंतर का वांछित वस्तु के साथ एक तर्कसंगत संबंध या संबंध होना चाहिए।

तार्किक रूप से पूर्ण और उचित होगा जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना न हो। किसी भी वर्गीकरण की वैधता का न्याय करने के लिए परीक्षण को कानून के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण से परे देखकर व्यावहारिक और व्यावहारिक होना चाहिए, यानी कानून का उद्देश्य या उद्देश्य और वे परिस्थितियाँ जो कानून पारित होने के समय प्रचलित थीं और जिनके कारण उस कानून को पारित करना आवश्यक था। इतना ही नहीं, एक किसी अधिनियम की संवैधानिक वैधता के बारे में अनुमान इस विश्वास पर आधारित है कि विधायिका अपने लोगों की आवश्यकता को समझती है और सही ढंग से उसकी सराहना करती है और नुकसान की मात्रा को पहचानने के लिए स्वतंत्र है और अपने प्रतिबंध को केवल उन मामलों तक सीमित कर सकती है जहां आवश्यकता को स्पष्ट माना जाता है। वर्गीकरण के परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाइयाँ

17 1959 एससीआर 279: AIR 1958 SC 538 18 (2001) 7 SCC 708 [2019] 17 S. C. R.

उत्तरार्द्ध को नापसंद किया जाता है लेकिन पूर्ववर्ती न्यायिक परीक्षण में उत्तीर्ण हो सकता है क्योंकि अदालतें कम समावेशिता के प्रति सहिष्णुता का प्रयोग करती हैं जब तक कि यह स्पष्ट न हो कि कानून के लिए कोई उचित कारण नहीं है जिसके लिए उन लोगों के लिए समान बल के साथ इसके विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी जिन्हें यह अछूता छोड़ देता है (पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य v देखें। भारत संघ और अन्य ने 2019 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 43 में 09.08.2019 पर निर्णय लिया। 39.बलदेव सिंह बाजवा में किराया अधिनियम में धारा 13-बी को लागू करने के उद्देश्य और कारणों को संशोधित अधिनियम के माध्यम से समझाया गया था।

(सुप्रा) निम्नलिखित शब्दों में:

" राज्य सरकार को विभिन्न एनआरआई व्यक्तियों और उनके संघों के माध्यम से विदेशों में लंबे वर्षों के बाद भारत लौटने वाले भारतीय निवासियों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे थे। यह दर्शाया गया था कि अपने जीवन के लंबे वर्ष विदेश में बिताने वाले एनआरआई को अपने देश लौटने पर या तो बसने या कोई व्यवसाय करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिलीं। मौजूदा किराया कानूनों के कठोर कानूनी प्रावधानों के कारण, एनआरआई किरायेदारों से अपने स्वयं के आवासीय भवन का कब्जा वसूल करने में असमर्थ थे। सरकार ने स्थिति पर विचार करते हुए निर्णय लिया था कि मौजूदा किराया कानून। अप्रवासी भारतीयों को राहत प्रदान करने के लिए पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि वे अपने उपयोग के लिए आवासीय या अनुसूचित भवन और/या एक गैर-आवासीय भवन का कब्जा वसूल कर सकें।

धारा 13-बी और किराया अधिनियम के अन्य प्रावधानों के प्रभाव को इस प्रकार समझाया गया था:

" 10. अधिनियम में पेश किए गए संशोधन ने एनआरआई जमींदारों का एक विशेष वर्ग बनाया और उन्हें अपने परिसर पर कब्जा करने वाले किरायेदारों से तत्काल कब्जा वसूलने के लिए विशेष अधिकार दिए, बशर्ते कि उनके लिए ऐसे परिसर की आवश्यकता हो। अनुभाग

13 - बी तत्काल कब्जा प्रदान करने का इरादा रखता है

एनआरआई मकान मालिक को आवास जो 1 कृष्ण ग्रोवर और अन्य के कब्जे में है v.

भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

किरायेदार यदि मकान मालिक को अपने उपयोग के लिए या सामान्य रूप से उसके साथ रहने वाले किसी व्यक्ति के उपयोग के लिए इसकी आवश्यकता है और वह उस पर निर्भर है। धारा 13-बी की उप-धारा (1)

धारा 13-बी की उप-धारा (2) एनआरआई मकान मालिक को उस परिसर से किरायेदार को बेदखल करने के उद्देश्य से कई अन्य आवासीय भवनों या अनुसूचित भवनों और/या गैर-आवासीय भवनों में से एक का चयन करने का विकल्प देती है। धारा 2 (जी) में आवासीय भवन को ऐसी इमारत के रूप में परिभाषित किया गया है जो गैर-आवासीय इमारत नहीं है। अनुसूचित भवन को अधिनियम की धारा 2 (एच) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक या अधिक व्यवसायों में लगे व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाने वाला आवासीय भवन। अर्थात्, वकीलों, वास्तुकारों, दंत चिकित्सकों, इंजीनियरों, पशु चिकित्सा सर्जनों, चिकित्सा व्यवसायियों सहित

चिकित्सा की स्वदेशी प्रणालियाँ और जो आंशिक रूप से अपने व्यवसाय के लिए और आंशिक रूप से अपने निवास के लिए उसी पर कब्जा करते हैं। धारा 13-बी की उप-धारा (3) मकान मालिक के साथ व्यवहार करने पर प्रतिबंध लगाती है।

जिसका भवन उसने 1949 के अधिनियम की धारा 13-बी के तहत पारित आदेश के आधार पर कब्जा कर लिया है। इस धारा के तहत जो मालिक धारा 13-बी के तहत पारित आदेश के आधार पर इमारत का कब्जा वसूल करता है, वह न तो इसे बिक्री या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करेगा और न ही उसे कब्जा करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए बाहर जाने देगा।

इमारत। यदि भवन का कब्जा लेने वाले मालिक की ओर से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो जिस किरायेदार को बेदखल किया गया था, वह नियंत्रक के पास एक आदेश के लिए आवेदन करने का हकदार होगा, जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि किरायेदार को उस भवन का कब्जा वापस कर दिया जाए और ऐसी याचिका दायर होने पर, नियंत्रक एक उचित आदेश पारित करेगा। प्रतिबंध के अलावा जो

धारा 13-बी की उप-धारा (3) द्वारा मकान मालिक के उस भवन से निपटने के अधिकार पर लगाया गया है, जिस पर उसने धारा 13-बी के प्रावधानों के तहत कब्जा कर लिया था, एक और प्रतिबंध [2019] 17 एस. सी. आर. है।

1949 के अधिनियम की धारा 19 (2-बी) के तहत मकान मालिक पर लगाया गया। धारा 19 (2-बी) में विचार किया गया है कि जब धारा 13-बी के तहत मालिक-मकान मालिक के पक्ष में कब्जे का आदेश पारित किया जा रहा है, तो उसे किरायेदार को बेदखल करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए लगातार परिसर पर कब्जा करना आवश्यक है। उसे उस भवन के पूरे या किसी भी हिस्से को, जिसमें से किरायेदार को बेदखल किया गया था, किसी अन्य व्यक्ति को देने से मना किया गया है, सिवाय उस किरायेदार के जिसे इस आधार पर बेदखल किया गया थाः

धारा 13-बी के तहत पारित आदेश। इन प्रतिबंधों के उल्लंघन में, मकान मालिक एक दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है और उसे छह महीने तक के कारावास या रुपये तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

एक हजार या दोनों के साथ।

40. किराया नियंत्रण कानून अनिवार्य रूप से सामाजिक कानून हैं जिन्हें 1940 और 1950 के दशक में सुरक्षा और नियंत्रण के लिए लागू किया गया था।

प्रचलित सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किरायेदारों का शोषण

कस्बों और शहरों में बड़े पैमाने पर आप्रवासन, जनसंख्या में वृद्धि, भूमि संपत्ति के रूप में आवास सुविधाओं की कमी के कारण कुछ संपन्न और धनी व्यक्तियों के स्वामित्व में थे। इसलिए किराया नियंत्रण कानून अनुबंध की सामान्य स्वतंत्रता और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत बेदखल करने के लिए मकान मालिक के अधिकार में हस्तक्षेप करता है। हालांकि, ऐसे सभी कानून हमेशा जमींदारों के परस्पर विरोधी अधिकारों को संतुलित करने का भी प्रावधान करते हैं। कई फैसलों में, इस न्यायालय ने

इस बात पर जोर दिया कि दो प्रतिद्वंद्वी हितों को संतुलित करने की आवश्यकता है जैसा कि माल्पे विश्वनाथ आचार्य और अन्य बनाम में देखा गया है। महाराष्ट्र राज्य और अन्य 1,9, जोगिंदर पाल बनाम। नवल किशोर

बहल 2 0, सत्यवती शर्मा (मृत) बनाम एल. आर. एस. भारत संघ और अन्य और विनोद कुमार बनाम में हाल के निर्णय में। अशोक कुमार गांधी ने 2016 की सिविल अपील संख्या 3793 में 05.08.2019 पर निर्णय लिया।

41. केवल सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने अनुच्छेद 14 पर आधारित भेदभाव और मनमानेपन की चुनौती को खारिज कर दिया था।

21 (2008) 5 एस. सी. सी. 287 राम कृष्ण ग्रोवर और अन्य बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

बिना किसी सार के अस्वीकार कर दिया गया। किराया नियंत्रण कानून जमींदारों के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए। तदनुसार, यह देखा गया कि यह हमेशा विधायिका के लिए खुला है कि वह मकान मालिकों की जांच, विनियमन और उन्हें अधिकार प्रदान करे ताकि वे कुछ मामलों में बेदखली की मांग कर सकें।

परिस्थितियाँ। व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार का उल्लेख करते हुए, यह देखा गयाः

" 17. [.....] इस प्रकार, ऐसा मकान मालिक स्वयं एक वर्ग बन जाता है। इस प्रकार कानून मकान मालिक की व्यक्तिगत आवश्यकता को एक विशेष वर्ग के रूप में रखता है जिसमें किरायेदार की त्वरित बेदखली के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता होती है और सभी देरी को कम करता है और सभी खामियों को दूर करता है जो मकान मालिक द्वारा राहत प्राप्त करने में देरी का कारण बन सकती हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि विधायिका द्वारा किया गया वर्गीकरण जनहित में है और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। व्यक्तिगत आवश्यकता वाले मकान मालिकों के पास है

उनकी विशेष आवश्यकताओं के कारण एक अलग वर्ग के रूप में एक साथ लाया गया और इस तरह के वर्गीकरण को अनुचित नहीं कहा जा सकता है, विशेष रूप से जब विधायिका अपने विवेक में महसूस करती है कि

मकान मालिकों को यह राहत जल्द से जल्द मिलनी चाहिए।

42. किराया नियंत्रण कानून के संदर्भ में मकान मालिकों को बेदखल करने के लिए दिए गए अधिकार के संबंध में रवि दत्त शर्मा (उपरोक्त) में निम्नलिखित टिप्पणियां प्रासंगिक हैंः

" 7. [.....] किरायेदार किसी भी भेदभाव की शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि किराया अधिनियम ने केवल सार्वजनिक हित में उन्हें कुछ सुरक्षा दी थी और यदि किराया अधिनियम द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा या इसके एक हिस्से को वापस ले लिया गया था और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत किरायेदार का सामान्य कानून अधिकार अभी भी संरक्षित था, तो कोई वास्तविक शिकायत नहीं की जा सकती थी।

केवल सिंह (ऊपर) में भी निम्नलिखित शब्दों में इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए थेः

" 22. इस प्रकार, हम यह नहीं देखते हैं कि किरायेदार विधायिका द्वारा अधिनियमित ऐसे प्रावधान की वैधता को कैसे चुनौती दे सकता है जिससे किरायेदार ने स्वयं ऐसे अधिकार प्राप्त किए हैं।

23. तत्काल मामले में, विधायिका ने किरायेदार के अधिकार को बिल्कुल भी नहीं छीन लिया है, बल्कि अधिनियम की धारा 14-ए और 14 (1) (ई) के दायरे में आने वाले मामलों में किरायेदार को बेदखल करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जैसा कि फैसले में चर्चा की गई है। इन परिस्थितियों में, इसलिए, [2019] 17 एस. सी. आर. द्वारा कोई भी चुनौती।

अधिनियम की संवैधानिकता के लिए किरायेदार को अनिवार्य रूप से विफल होना चाहिए

और इसलिए धारा 25-बी संवैधानिक रूप से मान्य है।

44. अनिवासी भारतीयों का किराया अधिनियम की धारा 18-ए में प्रदान की गई संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत बेदखली शुरू करने का अधिकार है एक निरंकुश और पूर्ण अधिकार नहीं। यह विभिन्न पूर्व-आवश्यकताओं और अनिवार्यताओं की संतुष्टि के अधीन है जो एक शॉर्ट-सर्किट प्रक्रिया का सहारा लेकर संभावित दुरुपयोग को सुनिश्चित करते हैं और रोकते हैं। यह आवश्यकता अनिवासी भारतीय मकान मालिक या उसके आश्रित की वास्तविक आवश्यकता से उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसे मकान मालिक को बेदखली याचिका दायर करने की तारीख से पहले पांच साल के लिए मालिक होना चाहिए। अनुमति देने पर एक सीमा है

उस प्रावधान का उपयोग जो जीवनकाल में केवल एक बार और केवल एक भवन के संबंध में उपलब्ध हो। पुनः बिक्री और पुनः किराए पर देने पर प्रतिबंध और बाधाएं हैं और इसके लिए एक और आवश्यकता है

कब्जा लेने के बाद तीन महीने की निरंतर अवधि के लिए संपत्ति। इन पूर्व शर्तों और कब्जे के बाद के प्रतिबंधों से पता चलता है कि धारा 13-बी एक विशिष्ट नीतिगत उद्देश्य को पूरा करती है ताकि गैर-निवासी भारतीयों को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब राज्य में अपनी संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। " अपने देश लौट रहे हैं। इस अधिकार को अनिवासी भारतीयों की वास्तविक आवश्यकता को अस्वीकार करके गुण-दोष के आधार पर अपने मामले को स्थापित करने के किरायेदारों के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

45. इसलिए, धारा 13-बी को एक मनमाना वर्गीकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और उल्लंघन करता है।

वर्गीकरण की असंवैधानिकता के आधार पर भविष्यवाणी की गई चुनौती को खारिज कर दिया जाता है।

और अन्य वी। भारत संघ 45

[संजीव खन्ना, जे।]

निर्णय, हमने ए के वकील को सुना था

व्यक्त किया कि हम इच्छुक नहीं थे

ई और जांच की है और जवाब दिया है संवैधानिकता को कायम रखने वाले निष्कर्ष

किराया अधिनियम और इसका विस्तार और

बी.

चंडीगढ़ का अनुष्ठान, हम खारिज कर देंगे

y किरायेदारों। कोई आदेश नहीं होगा

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।